लोक-सभा
वाद-विवाद

तृतीय माला

खण्ड १, १९६२/१८८४ (शक)

[१६ से २७ अप्रैल, १९६२/२६ चैत्र से ७ वैशाख, १८८४ (शक)]

Chamber Fumigated 18/X/23

3rd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation 14-5-92
Fumigated On 3.12.83
Parliament Library

पहला सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड १ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

तृतीय माला, खण्ड १--अंक १ से १०--१६ से २७ अप्रैल, १९६२/ २६ चैत्र से ७ वैशाख, १८८४ (शक)

अंक १--सोमवार, १६ अप्रैल, १९६२/२६ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१--१६
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	१६
दैनिक संक्षेपिका	१७

अंक २--मंगलवार, १७ अप्रैल, १९६२/२७ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१९-२०
अध्यक्ष का निर्वाचन	२०
अध्यक्ष का अभिनन्दन	२०--२९
दैनिक संक्षेपिका	३०

अंक ३--बुधवार, १८ अप्रैल, १९६२/२८ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३१
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	३१
राष्ट्रपति का अभिभाषण सभा पटल पर रखा गया	३१--३५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३५
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	३५-३६
दैनिक संक्षेपिका .	३७-३८

अंक ४--गुरुवार, १९ अप्रैल, १९६२ / २९ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	३९
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ११२, २१, २२, ३ से ११ और १३	४०--६२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	६२-६३
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १२, १४ से २० और २३ से ४२	६४--७६
अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ६ और ८ से १९	७६--८४
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	८४-८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अन्दमान द्वीप समूह में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	८५--८७

	पृष्ठ
प्रक्रिया के बारे में	८७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	८७–८८
सभापति-त्रालिका	८८
रेलवे आयव्ययक, १९६२–६३——उपस्थापित	८८——९५
राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में वक्तव्य	९५
दैनिक संक्षेपिका	९६——९९
अंक ५——शनिवार, २१ अप्रैल, १९६२/१ वैशाख, १८८४ (शक)	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१०१
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ४३ से ४८, ५०, ५१, ५५, ५२ से ५४ और ५६ से ५९	१०१——२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ४९ और ६० से ७९	१२३–३२
अतारांकित प्रश्न संख्या २० से ६६	१३२——५०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१५१
प्राक्कलन समिति——	
एक सौ उनहत्तरवां प्रतिवेदन एक सौ सतरवां प्रतिवेदन एक सौ इकहत्तरवां प्रतिवेदन एक सौ बहत्तरवां प्रतिवेदन	१५१–५२
सभा का कार्य	१५२
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा	१५२——६४
मृत्यु दंड को समाप्त करने के बारे में संकल्प वापस ले लिया गया	१६५——८१
जनता एक्सप्रेस गाड़ियों के बारे में संकल्प	१८२——८३
दैनिक संक्षेपिका	१८४——८८
अंक ६——सोमवार, २३ अप्रैल, १९६२/३ वैशाख, १८८४ (शक)	
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	१८९
प्रश्नों के मौखिक उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०, ८१ और ८३ से ९४	१८९——२११
प्रश्नों के लिखित उत्तर——	
तारांकित प्रश्न संख्या ८२, ९५ से १२२ और १२४ से १३१	२१२——२९
अतारांकित प्रश्न संख्या ६७ से १२६	२२९——५६
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	२५६–५७

पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाने की सूचनाओं के बारे में २५७
सभा-पटल पर रखे गये पत्र २५८–५६
उपाध्यक्ष का निर्वाचन २५६––६२
उपाध्यक्ष का अभिनन्दन २६३––६५
रेलवे आय व्ययक––सामान्य चर्चा २६५––२८८
सामान्य आयव्ययक, १६६२–६३––उपस्थापित २८८––३०६
वित्त (संख्या २) विधेयक, १६६२––पुरःस्थापित ३०६
दैनिक संक्षेपिका ३०७––१३

अंक ७––मंगलवार, २४ अप्रैल, १६६२/४ वैशाख, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३१५
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––
तारांकित प्रश्न संख्या १३२ से १४७ ३१५––४२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ३४२––४४
प्रश्नों के लिखित उत्तर––
तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१ ३४५––५१
अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४० ३५१––५७
संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु परीक्षणों को पुनः आरम्भ करने के प्रस्तावित निश्चय के बारे में; तथा नागा विद्रोहियों द्वारा पकड़े गये भारतीय वायु सेना के प्राधिकारियों के बारे में वक्तव्य ३५७––५६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना––
मालदा जिले के सीमांत क्षेत्रों में उपद्रव ३६०
सभा की कार्यवाही का तत्काल अनुवाद करने के बारे में ३६०–६१
सभा पटल पर रखे गये पत्र ३६१
राज्य सभा से सन्देश ३६१
भेषज (संशोधन) विधेयक––
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया ३६२
सभा में स्थानों के नियतन के बारे में ३६२
धनबाद के निकट हुई रेलवे दुर्घटना के बारे में वक्तव्य ३६२–६३
रेलवे आयव्ययक––सामान्य चर्चा ३६३––८५
दैनिक संक्षेपिका ३८६––८८

लोक-सभा

गुवार, १९ अप्रैल, १९६२

२९ चैत्र, १८८४ (शक)

लोक–सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

†**अध्यक्ष महोदय** : जिन माननीय सदस्यों ने शपथ न ली हो अथवा प्रतिज्ञान न किया हो वे अब शपथ ले सकते हैं या प्रतिज्ञान कर सकते हैं ।

श्रीमती विजय राजे सिन्धिया (ग्वालियर)

श्री मोहन लाल बाकलीवाल (दुर्ग)

श्री शिशिर कुमार साहा (बीरभूम)

सभा का कार्य

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न लिये जायेंगे ।

चूंकि काफी सदस्य नये हैं इसलिये यदि वे पूरक प्रश्न पूछने से पहले अपना नाम बता दें तो मुझे और रिपोर्टरों को काफी सुविधा होगी यह प्रथा कुछ ही दिनों तक आवश्यक होगी और उस से प्रारम्भ में हमें सुविधा होगी ।

इस समय मैं एक और बात कहना चाहता हूं । हमारा अनुभव यह रहा है कि प्रश्नकाल में हम अधिक से अधिक दस-बारह प्रश्न ले पाते हैं । माननीय सदस्यों को यह तय करना चाहिये कि हम इस प्रथा को कायम रखें या अधिक प्रश्नों को लिया करें ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : ज्यादा प्रश्न लिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपने कर्तव्यों के प्रति अधिकाधिक जागरूक होते जा रहे हैं और हमें काफी प्रश्नों की सूचनायें प्राप्त होती हैं । यदि मैं प्रश्नों की सूचनायें ग्रहण न करूं या उन्हें अतारांकित प्रश्न के रूप में ग्रहण करूं तो माननीय सदस्यों को निराशा होती है और वे इस बात पर जोर देते हैं कि उनके प्रश्न तारांकित प्रश्न के रूप में ग्रहण किये जायें । अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो उस से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ दस-बारह प्रश्न ही ले पाते हैं और शेष प्रश्न लिखित उत्तरों सहित कार्यवाही में सम्मिलित कर दिये जाते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

250(Ai) LS–1.

इसलिये मैं आशा करता हूं कि जानकारी प्राप्त करने के लिये हमें अधिक प्रश्न लेने चाहियें इस बात से सभी सदस्य सहमत होंगे। इस प्रकार जो जानकारी प्राप्त होगी उसे माननीय सदस्य चर्चा आदि उठाने के लिये काम में ला सकते हैं। क्या सभी सदस्य इस सुझाव से सहमत हैं।

†**कई माननीय सदस्य :** जी, हां ।

†**श्री नाथ पाई** : श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। हम सभी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लिये जायें किन्तु ऐसा इसलिये नहीं हो पाता कि हम लोग काफी पूरक प्रश्न पूछते हैं। यदि आप मंत्रियों से कह दें कि वे प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर दें तो हम अधिक प्रश्न ले सकेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरी राय में प्रश्नकाल का एक सेकेन्ड भी अनावश्यक प्रश्न या उत्तर पर बर्बाद न किया जाये। प्रश्न संक्षिप्त और स्पष्ट होने चाहियें और उन के उत्तर भी स्पष्ट हों। ऐसा होने से हम संभवतः अधिक प्रश्न ले सकेंगे।

†**श्री त्रिदीब कुमार चौधरी** : उत्तरों में उचित जानकारी होनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर संक्षिप्त हों इस का अर्थ यह नहीं कि उन में आवश्यक जानकारी न दी जाये। उन में सदस्यों को अपेक्षित जानकारी तो होनी ही चाहिये किन्तु वह संक्षिप्त और स्पष्ट हो।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : कितने पूरक प्रश्न पूछे जायें यह तो मूल प्रश्न पर निर्भर करता है। मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न के महत्व के अनुसार पूरक प्रश्न पूछने देंगे बजाय इस बात के कि प्रत्येक प्रश्न और उस के पूरक प्रश्नों के लिये दो-तीन मिनट ही दिये जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आप के कथन से बिल्कुल सहमत हूं।

†**श्री जयपाल सिंह** : समय बचाने का एक ही तरीका है। जब कभी एक प्रश्न की सूचना कई सदस्यों के नाम में हो तो पीठासीन व्यक्ति एक के बाद एक सभी सदस्यों को न बुलाये। उन में से जो सदस्य उपस्थित हो वह खड़ा हो कर प्रश्न पूछे।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह तो अब भी होता है। यदि पहला सदस्य उपस्थित न हो तो पीठासीन व्यक्ति अन्य सदस्यों में से किसी को भी बुला सकता है।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कपड़ों के दाम

†***१. श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कपड़ा और सूत के मामले में उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखते हुए इन चीजों के मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) इन चीजों के मूल्य निर्धारित करने और उन पर मूल्य अंकित करने की वर्तमान प्रणाली क्या है और उस में क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाना है ।

विवरण

कपड़ा उद्योग और कपड़े के दाम के प्रश्न से सम्बन्धित कई बातों का निर्देश प्रशुल्क आयोग को दिसम्बर, १९६० में किया गया था और आयोग से पूरी जांच करके प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया था। निदेश पदों के अधीन आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ मिल से बन कर निकलने पर कपड़े व सूत के उचित दाम क्या होने चाहियें यह सिफारिश करनी होगी । सरकार प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस मामले पर आगे विचार करेगी ।

स्वेच्छा से मूल्य विनियमन योजना के अनुसार, जो १ जनवरी, १९६१ से लागू हुई है, मिलें अगस्त, १९५९ के निर्धारित दरों से मोटे कपड़े के लिये २० प्रतिशत, मीडियम 'बी' कपड़े के लिये १७ प्रतिशत, मोडियम 'ए' कपड़े के लिये १३ प्रतिशत, फाइन कपड़े के लिये ८$^{1}/_{2}$ प्रतिशत और सुपर फाइन कपड़े के लिये ६ प्रतिशत से अधिक दाम न लेंगी । किन्तु कपड़े की लोक-प्रिय किस्मों के सम्बन्ध में, जिनमें देश की आन्तरिक खपत के लिये मिलों का २५ प्रतिशत उत्पादन शामिल है, उपरोक्त प्रतिशत मोटा कपड़ा मोडियम 'बी' और मीडियम 'ए' के लिये ३ प्रतिशत और फाइन तथा सुपरफाइन कपड़े के लिये २ प्रतिशत कम कर दिया जायेगा। जहां कहीं कपड़े के दाम इससे कम हों वे कायम रहेंगे । कपड़ों के खुदरा दाम कपड़े पर छपे एक्स-मिल दाम से १८ प्रतिशत अधिक निर्धारित किये गये हैं । विभिन्न नम्बर के सूत के दाम भी निर्धारित कर दिये गये हैं ।

प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक सरकार स्वेच्छा से मूल्य नियन्त्रण योजना की वर्तमान प्रणाली पर बराबर निगरानी रखेगी।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विवरण में कहा गया है कि प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक सरकार स्वेच्छा से मूल्य नियंत्रण योजना की वर्तमान प्रणाली पर बरावर निगरानी रखेगी । क्या मैं जान सकता हूं कि इस समीक्षा का क्या परिणाम निकला और समीक्षा के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारा ख्याल है कि इस योजना से सम्बन्धित सभी लोगों को कोई शिकायत नहीं है । किन्तु मैं नहीं कह सकता कि वह प्रत्येक मामले में पूर्ण रूप से लागू की गई है या नहीं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मन्त्री को ज्ञात है कि व्यापार और उद्योग ने भी यह स्वीकार किया है कि देश में कई मिलें हैं जिन्होंने ऐसे कपड़े का उत्पादन शुरू कर दिया है जिन पर स्वेच्छा से मूल्य नियन्त्रण योजना लागू नहीं होती ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारी जानकारी इससे कुछ भिन्न है । कपड़े की कुछ किस्मों की बहुत मांग है और इन किस्मों का अभाव भी है, ऐसे मामलों में यह योजना उतनी अच्छी तरह लागू नहीं की जा सकी जितनी कि चाहिये ।

†**श्री नाथ पाई** : क्या मन्त्री को वस्त्रोद्योग के प्रवक्ताओं के उस वक्तव्य की जानकारी है जिसमें उन्होंने कहा है कि कपास का पर्याप्त सम्भरण नहीं होता और इस कारण दाम बढ़ने की सम्भावना है ? यदि हां, तो विदेशों से कुछ कपास आयात करने के सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह प्रश्न मूल प्रश्न से तो उत्पन्न नहीं होता लेकिन आपकी अनुमति से मैं यहां बता दूं कि मैं इसके बारे में बाद में जानकारी दूंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर गया है कि दशहरा, दिवाली और होली के अवसर पर मोडियम और फाइन कपड़ों की कुछ किस्मों के दाम १० से लेकर २५ प्रतिशत तक बढ़ गये थे ? यदि हां, तो कपड़े के दाम इस प्रकार न बढ़ने पायें इसके लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : विवरण में बताया गया है कि हम प्रयुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं । प्रतिवेदन प्राप्त होते ही सरकार इस मामले पर विचार करके अपने निर्णय की घोषणा कर देगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या २--श्री भक्त दर्शन ।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या २१ और २२ का उत्तर प्रश्न संख्या २ के साथ दे दिया जाये क्योंकि वे एक ही विषय से सम्बन्धित हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे एक नोट प्राप्त हुआ है कि उन्हे एक साथ लिया जा सकता है । यदि माननीय मन्त्री सहमत हों तो उनका उत्तर एक साथ दे दिया जायेगा ।

चीनियों द्वारा भारतीय प्रदेश का अतिक्रमण

\+

*२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **प्रधान मंत्री** १३ मार्च, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी सीमा पर चीन द्वारा भारतीय प्रदेश के अतिक्रमण की कोई ताजी घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन अतिक्रमणों पर प्रकाश डालने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ग) इस प्रकार के अतिक्रमणों को भविष्य में रोकथाम करने के लिये कौन सी विशेष कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी हां । भारत सरकार को हाल ही में एक ताजी घटना का पता चला है कि चीनियों ने भारतीय प्रदेश में घुस-पैठ की । सुमडो के ६ मील पश्चिम में मानचित्र स्थिति (मैप रेफरेंस) ७८३४ पूर्व ३५०१ उत्तर पर एक नई चीनी चौकी स्थापित की गई है ।

(ख) इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने चीनी राजदूतावास के पास जो विरोध-पत्र भेजा है, उसकी नकल सदन की मेज पर रख दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १**]

(ग) भारत सरकार इस समस्या के प्रति जागरूक है और अपने प्रदेशों की रक्षा के लिए और आजकल जो इलाका चीनियों के गैर-कानूनी कब्जे में है, उसे खाली कराने के लिये भी आवश्यक उपाय बरत रही है । ऐसे किन्हीं भी उपायों को समय से पहले बता देना राष्ट्रीय हित में न होगा । भारत सरकार अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिये अपनी घोषित नीति के अनुरूप सभी शान्तिपूर्ण तरीके भी अपना रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय क्षेत्र से चीनी सेनाओं की वापसी

†*२१. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चिक-चैप नदी के पास जिस चीनी पैट्रोल कैम्प का हाल में पता चला था और जिसे सरकार ने अस्थायी प्रकार का बताया था, अब भारतीय प्रदेश से हटा लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके हटाये जाने का पता कब चला ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जैसा कि सभा को ज्ञात है भारत सरकार ने दौलत बेग ओलडी के निकट स्थित ट्रैक जंक्शन के ३–४ मील की दूरी पर चीनी पैट्रोल कैम्प के बारे में २३ फरवरी, १९६२ को एक विरोध पत्र भेजा था। चीन की सरकार ने १४ मार्च, १९६२ के अपने पत्र में इस नये कैम्प के अस्तित्व को अस्वीकार किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह अस्थायी कैम्प हटा दिया गया है।

(ख) जनवरी, १९६२ में जिस चीनी पैट्रोल कैम्प का पता चला था वह इस बीच दिखाई नहीं दिया। किन्तु, वह कब हटाया गया इस सम्बन्ध में ठीक-ठीक जानकारी देना सम्भव नहीं है।

चीन के कब्जे में भारतीय प्रदेश

†*२२. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६ अप्रैल, १९६२ तक कुल कितने वर्गमील भारतीय प्रदेश अवैध रूप से चीन के कब्जे में था; और

(ख) इस प्रकार के अनाधिकारपूर्ण कब्जे के क्षेत्र में चीनियों ने कितने सैनिक अड्डों, चौकियों और अन्य संस्थानों का निर्माण किया ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) लद्दाख का जो भाग इस समय चीन के अवैध कब्जे में है उसकी स्थिति और अन्य बातों के कारण उसका कितने वर्गमील का क्षेत्र चीन के कब्जे में है यह बताना लगभग असम्भव है। किन्तु, मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र १२,००० वर्गमील से अधिक है।

(ख) चीन ने इस क्षेत्र में जो सैनिक संस्थान आदि बनाये उनके बारे में सरकार के पास जो ब्यौरा है वह प्रकाशित करना सुरक्षा की दृष्टि से उचित न होगा।

श्री भक्त दर्शन : गवर्नमेंट की ओर से जो अन्तिम उत्तर दिया गया है उससे स्पष्ट है कि इस बीच में चीनी सेनायें आगे बढ़ी हैं। मेरी सम्मति में इसका एक कारण यह हो सकता है कि हमने अपनी चैक पोस्ट्स बहुत आगे बढ़ा कर स्थापित नहीं की हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का प्रयत्न किया जा रहा है कि जहां पर चीनी कैम्प हैं, वहां पर हमारे भी कैम्प लग जायें ताकि चीनी सेनायें आगे न बढ़ सकें ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय सदस्य का कहना मेरी समझ में नहीं आया कि हम उनके कैम्प के सामने अपने कैम्प लगा दें। इससे सारी जमीन तो नहीं रुक जाती ? वहां पर मैदान हैं बड़े बड़े कोई इधर उधर से टहल करके आ सकता है। वाकया यह है कि कहीं पर हमारे कैम्फ उनके कैम्पस के पीछे लग गए हैं। आमने सामने खड़े होकर कोई एक दूसरे को थोड़े ही रोकता है ? पीछे उनके हमारे कैम्प हैं। इधर उधर से कोई आ सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री भक्त दर्शन : यह जो चीनी सेनायें आगे बढ़ी हैं, इसके सम्बन्ध में क्या यह अन्दाजा लगाया गया है कि कितने और अधिक भारतीय क्षेत्रफल पर उन्होंने अधिकार कर लिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका जवाब दे दिया गया है । इसका हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सारी जमीन पर कब्जा तो है नहीं । आप देखिये कि एक चैक पोस्ट कहीं पर वे अपनी लगायें और वहां से आप समझिये जितनी उसके पीछे जमीन है, दायें है, बायें है, वह सब उनकी हो गई तो यह एक फर्जी बाद है । किसी जगह तक वे पहुंच गए, कुछ इससे उनका असर इधर उधर पड़ता है, यह हो सकता है । लेकिन कहीं हम उनके दायें, बायें और उनके पीछे भी तो हैं ।

सवाल के जवाब में दो बातें कही गई हैं जो बिल्कुल सही हैं । एक तो यह कि सुमडी के पास ६–७ मील के फासले पर उन्होंने एक छोटी सी पोस्ट बनाई । दूसरी यह कि दौलतबेग ओल्डी के पास एक पैट्रोल पोस्ट लगाई थी । वहां से वे हट गए हैं । आगे पीछे थोड़ी बहुत आमदोरफ्त तो होती रहती है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मूल चन्द देशलहरा द्वारा एक चुनाव सभा में दिये गये उस भाषण की ओर गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें प्रधान मंत्री से उनके यानी प्रधान मंत्री और चीन की सरकार के बीच हुए किसी गुप्त पत्र व्यवहार की जानकारी मिली है और इस पत्र व्यवहार में चीन की सरकार उस क्षेत्र से हट जाने के लिये तैयार हो गई है जिस पर उसने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो श्री देशलहरा के इस वक्तव्य में थोड़ी बहुत भी सचाई है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं । मेरा ध्यान उनके भाषण अथवा उनके इस प्रकार के कथन की ओर नहीं दिलाया गया है । मैंने श्री देशलहरा के साथ इस प्रकार की कोई बात की है यह मुझे याद नहीं है । यदि मैंने उनसे कुछ कहा भी हो तो मैंने उनका ध्यान प्रकाशित पत्र व्यवहार की ओर दिलाया होगा जो सभा के पटल पर रखा जा चुका है । उसमें कोई गुप्त बात नहीं है । एक-दो पत्र ही हैं जो गुप्त कहे जा सकते हैं किन्तु वे भी अगले दो-तीन दिनों में सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** : सभा पटल पर रखे गये विवरण से पता चलता है कि चीनियों की गश्ती कार्यवाही होती रहती है । क्या हम इस क्षेत्र में गश्त आदि लगाते हैं और यदि हां, तो चीनियों को हमारे क्षेत्र में क्यों घुस आने दिया जाता है ? सीमा पर हमारे गश्ती दल हैं वे उन्हें रोकते क्यों नहीं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसलिये कि वे एक दूसरे के सम्पर्क में नहीं आते । हमारे गश्ती दल बहुत बड़े क्षेत्र में गश्त लगाते हैं । जब क्षेत्र बहुत बड़ा हो तो जब तक दो दल जानबूझकर एक दूसरे की तरफ न बढ़ें तब तक वे मिल नहीं सकते । वे गश्त लगाने के बारे में पहले से कोई इत्तला नहीं देते और न हम ही देते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**श्री त्यागी** : चूंकि अखबारों में चीन के कब्जे में जो क्षेत्र हैं उसके रकबे के बारे में अलग अलग अनुमान प्रकाशित हो रहे हैं तो क्या वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने इस बात का कोई हिसाब लगाया है कि चीन के कब्जे में वास्तव में कितना क्षेत्र है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इसी प्रश्न के उत्तर में जितनी ठीक-ठीक जानकारी दी जा सकती है, दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** उस क्षेत्र का रकबा कितने वर्गमील है ?

†**श्री हेम बरुआ :** चीन ने १९६०-६१ में तीन चौकियां स्थापित की थीं और उसके बाद एक और चौकी स्थापित की गई है इस बात को देखते हुए क्या सरकार उसे इस नयी चौकी से हटाने का इरादा रखती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। सरकार की नीति चीनियों को उन सभी क्षेत्रों से, जो भारत के हैं, हटाने की है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं प्रधान मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या उन का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित उन समाचारों की ओर गया है जिन में चीन सरकार और विशेष रूप से चीन के प्रधान मंत्री ने यह दोष लगाया है कि भारत चीन सीमा विवाद को भारत सरकार शांति से नहीं सुलझाना चाहती ? और क्या भारत सरकार ने जानने का यत्न किया है कि उन की शांति की व्याख्या क्या है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, देखा है, उन का व्याख्यान जो अखबारों में निकला है। उन की शांति की व्याख्या यह मालूम होती है कि वह चाहते हैं कि हम उन से इस बारे में बात चीत करें। हम ने उन से कहा है कि बात चीत तभी हो सकती है जब कोई सबूत हो कि वे यहां से हटेंगे। इतना ही जिक्र हुआ है। उन का कहना है कि हम उन की जमीन दबाये हुए हैं। उन का जो ब्यान है वह यह है कि हम ने उन की जमीन पर हमला किया है, और हमले करते जाते हैं। बिल्कुल उल्टा है जो हम कहते हैं उस से।

श्री बड़े : चीन ने अतिक्रमण किया है यह किस तारीख को हिन्दुस्तान में मालूम पड़ा और किस तारीख को प्रोटेस्ट भेजा गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह लम्बी कहानी है जिस की बहुत चर्चा हुई है।

श्री म० ला० द्विवेदी : समाचारों से यह मालूम हुआ है कि चीन ने यह बतलाया है कि हम ने जिस भूमि पर उन के कब्जा करने की बात कही है वह चीन के पुराने नक्शों के मुताबिक उनकी है, जिस के लिये कि हम ने कहा है उनकी नहीं है। इस के लिये उन्होंने यह लांछन लगाया है कि अंग्रेज़ों के जमाने में उस पर कब्जा किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने चीन को इस सम्बन्ध में यह बतलाने का प्रयत्न किया है कि हमारे नक्शों के मुताबिक भी यह चीज है और हम उन के नक्शों को नहीं मानेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : हमारी सरकार ने जो कुछ किया है उस के सब पेपर्स रख दिये गये और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि दो एक और जो चिट्ठियां हैं वह रख दी जायेंगी।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो समाचार छपा है उस का खंडन किया गया या नहीं और यदि किया गया तो क्या किया गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य गौर करें, जो जवाब दिये गये हैं वे पूरे उन के सामने हैं।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** चीन ने १९५२ से लेकर १९६२ तक जो घुसपैठ की क्या उसे किसी जगह या पूरी सीमा पर रोकने का प्रयत्न किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** १९५२ में इस प्रकार की कोई वारदात नहीं हुई। किन्तु पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार की घुसपैठ हुई है जिसके कारण दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और दोनों तरफ के कुछ लोग मारे गये और घायल हुए। ज़ाहिर है कि इन जगहों में मुठभेड़ हो रही है।

सेंधा नमक का आयात

\+

*३. { **श्री म० ला० द्विवेदी:**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का कितना सेंधा नमक आयात करने का विचार है और किन किन देशों से ;

(ख) क्या इस से नमक उद्योग को हानि की आशंका है ; और यदि हां, तो किस हद तक और

(ग) सेंधा नमक का आयात, विदेशी मुद्रा की कमी को देखते हुए, क्यों अत्यावश्यक हो गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) लगभग एक लाख मन पाकिस्तान से।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारत और पाकिस्तान के बीच किये गये व्यापार करार के अनुसार यह आयात करने की अनुमति दी जा रही है। यह करार दोनों देशों के बीच व्यापारिक तथा आर्थिक सम्बन्ध विकसित करने, बढ़ाने और मजबूत करने के विचार से किया गया है। इस पर कुछ भी विदेशी मुद्रा खर्च नहीं होगी क्योंकि आयात किये गये सेंधा नमक के मूल्य का भुगतान अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किया जायगा।

श्री म० ला० द्विवेदी : भारत और पाकिस्तान के बीच जो व्यापारिक समझौता हुआ था उसके अनुसार कुछ चीज़ें भारत पाकिस्तान से मंगा सकता है और कुछ चीज़ें पाकिस्तान भारत से मंगा सकता है। इसी समझौते के अनुसार भारत यह नमक मंगा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान ने भी कुछ माल को अपने यहां मंगाने का प्रयत्न किया है या कि केवल हम ही उनका साल्ट मंगा रहे हैं ?

श्री कानूनगो : नहीं, कुछ माल वहां हमारे यहां से जाता है। हमको पिछले साल नमक लेने का सुभीता नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने उसको रिलीज़ नहीं किया और अभी तो हम अपने यहां का ही साल्ट लेते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि विगत पांच वर्षों में कितना प्रतिशत समझौता पाकिस्तान ने माना और कितना हम ने माना ?

श्री कानूनगो : इसका उत्तर तो आंकड़े देख कर दिया जा सकता है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** पाकिस्तान के साथ जो उभयपक्षीय करार हुआ है वह जारी रहेगा और यदि हां, तो क्या सरकार ने मण्डी क्षेत्र में उपलब्ध सेंधा नमक निकालने के बारे में सोचा है ?

†**श्री कानूनगो :** पाकिस्तान-भारत करार का हर छ : महीने में पुनरावलोकन किया जाता है। संभव है कि अगले पुनरावलोकन के बाद उसमें संशोधन कर दिया जाये । यहां भी सेंधा नमक निकालने के लिये कार्रवाई की जा सकती है ।

†**श्री भागवत झा आजाद :** प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है । क्या मंत्री महोदय का ध्यान सेंधा नमक के छोटे-मोटे व्यापारियों के अभ्यावेदनों की ओर गया है जिसमें उन्होंने आयात के कारण हो रही कठिनाइयों और असुविधाओं का उल्लेख किया है ?

†**श्री कानूनगो :** जी, नहीं । ऐसा कोई प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त नहीं हुआ ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो राक साल्ट हिन्दुस्तान में पैदा करने की कोशिश की गयी थी क्या उससे हमारी राक साल्ट की आवश्यकता पूरी नहीं होती ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जो मंडी में राक साल्ट है अभी हमने उसको पैदा करने के लिए ड्रिल्स लगाए हैं और हमारी आशा है कि जब वह कांट्रेक्ट सफल हो जाएगा तो हम वहां काफी तादाद में राक साल्ट बनाएंगे ?

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सरकार पाकिस्तान से एक लाख मन सेंधा नमक ले रही है इसको विभिन्न प्रदेशों में किस आधार पर वितरित किया जाएगा और इसकी प्रति मन क्या कीमत होगी ?

श्री कानूनगो : यह चीज स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट राज्य सरकारों से मिल कर तै करेंगे और उसका रेट भी निर्धारित करेंगे ।

श्री दाजी : क्या गवर्नमेंट इस बात पर गौर करेगी कि अपने देश की जनता को दूसरे देश का नमक खिलाना कहां तक उचित है ?

श्री कानूनगो : हमारे देश में काफी नमक है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं ।

प्रेसीडेंट अय्यूब की भारत यात्रा

+

†*४. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अय्यूब को भारत आने के लिये जो पुनः नियंत्रण दिया गया था

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या उसके बारे में उनकी कोई निश्चित प्रतिक्रिया ज्ञात हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ;

(ग) क्या पाकिस्तान सरकार ने काश्मीर प्रश्न के हलहेतु उभयपक्षीय वार्ता आयोजित करने की आवश्यकता के बारे में कोई संकेत दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या निकट भविष्य में इस प्रकार की कोई वार्तायें होने की कोई संभावना है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** :(क) और (ख). प्रेसीडेंट अय्यूब खां ने हमारे उच्च आयुक्त को यह कहा था कि उनकी राय में फिलहाल भारत आने से कोई लाभ न चेागा ।

(ग) और (घ). हमने पाकिस्तान सरकार को काश्मीर प्रश्न के हल के लिये उभयपक्षीय वार्ता करने की अपनी इच्छा से अवगत करा दिया है ; किन्तु स्पष्ट यह है कि पाकिस्तान सुरक्षा परिषद् में केवल आन्दोलनात्मक रवैया अपनाने पर तुला हुआ है । प्रधान मंत्री ने राज्य-सभा में २० मार्च, १९६२ को प्रश्न संख्या ७२ पर पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि सुरक्षा परिषद् में चर्चा और उभयपक्षीय वार्ता ये दो बातें साथ-साथ नहीं चल सकतीं और मसले को हल करने के लिये इन दोनों में से किसी एक उपाय को काम में लाना आवश्यक है ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : प्रधान मंत्री ने राज्य-सभा में जो कुछ कहा उसे देखते हुए क्या प्रेसीडेन्ट अय्यूब को दिया गया नियंत्रण रद्द कर दिया गया है या वे अब भी निमंत्रित हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : निमंत्रण रद्द नहीं किया गया ।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या पाकिस्तान सरकार से ऐसा कोई संकेत मिला है कि यदि सुरक्षा परिषद् या वृहत्सभा में यह मामला न निबटाया गया तो वह इस सम्बन्ध में विचार करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री दी० चं० शर्मा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस तरह के समाचार प्रकाशित हुए हैं कि प्रेसीडेन्ट अय्यूब खां भारत आयें इसके पहले निम्न स्तर पर वार्तायें हों ताकि इस सारे मसले पर चर्चा कर ली जाये । क्या सरकार को ऐसे किसी समाचार की जानकारी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हमें ऐसे किसी समाचार की जानकारी नहीं लेकिन फिलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पाकिस्तानी प्रेसीडेंट जनरल अय्यूब ने अभी पीछे जो वक्तव्य दिया कि इस वार्तालाप से पहले अनुकूल भूमिका तैयार होनी आवश्यक है तो भारत सरकार ने क्या यह जानने का यत्न किया कि उनका इस अनुकूल भूमिका से अभिप्राय क्या है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** :इसी कारण उभयपक्षीय वार्ता का सुझाव दिया गया है ताकि हम अपने मतभेद और उन्हें दूर करने के तरीके जान लें ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इस बात को देखते हुए कि प्रेसीडेंट अय्यूबखां इस विषय पर वार्ता के लिये तैयार नहीं हैं क्या सरकार राष्ट्र संघ से काश्मीर का मामला वापस लेना चाहती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** राष्ट्र संघ से मामला वापस ले लेने जैसी कोई बात नहीं है ।

†**श्री दाजी:** क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान का समर्थन अन्य देशों के अलावा ग्रेट ब्रिटेन भी कर रहा है और यदि हां, तो सरकार अपनी स्थिति अन्य देशों को स्पष्ट करने के लिये क्या कदम उठा रही है ताकि वे पाकिस्तान का समर्थन करना आरम्भ न कर दें ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, हमें इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं कि ग्रेट ब्रिटेन पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है या नहीं । जहां तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, हम अपनी स्थिति और इस प्रश्न के तथ्यों के बारे में अन्य देशों को जानकारी देने की भरसक कोशिश कर रहे हैं । यह कुछ वर्षों से हो रहा है और जब कभी यह प्रश्न उत्पन्न होगा हम सम्बन्धित देशों को अपनी स्थिति से अवगत करायेंगे ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या हाल में कुछ देशों ने सुझाव दिया है कि भारत और पाकिस्तान राष्ट्र संघ के तत्वावधान मे न्यूयार्क में आमने-सामने बैठ कर इस विषय पर विचार-विनिमय करें और यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने यह सुझाव मान लिया है या नहीं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** माननीय सदस्य संभवत: प्रेसीडेंट केनेडी द्वारा श्री यूजीन ब्लैक के इस मामले में हस्तक्षेप करने के बारे में दिये गये सुझाव का निर्देश कर रहे हैं । मेरा ख्याल है कि इस प्रश्न का उत्तर सभा में दिया जा चुका है ।

†**श्री बड़े :** इस बात को देखते हुए कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया और हमारे क्षेत्र की कोई ४२,००० वर्ग मील भूमि पर बलात् अधिकार कर लिया है पाकिस्तान को वहां से हटे बिना बातचीत करने के लिये निमंत्रण क्यों दिया गया ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं । अगला प्रश्न ।

श्री नम्बियार उठे--

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने अगले प्रश्न का उत्तर देने के लिये कह दिया है ।

हाथ की घड़ियां

\+

†*५. **श्री मधुसूदन राव :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा बंगलौर में बनाई गई हाथ की घड़ियां जनसाधारण को कब तक उपलब्ध कर दी जायेंगी ; और

(ख) खुले बाजार मे इन घड़ियों के दाम क्या होंगे ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). प्रश्न का उत्तर किसी और दिन इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री देंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी :** प्रश्न की पूर्व सूचना दी गई थी । इसके बारे में सभा में मतभेद था ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि अब हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिये । इन पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है । प्रश्न के लिये जाने पर, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं । इस प्रश्न का उत्तर तो एक दिन में दे दिया जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय सदस्यों को सूचना नहीं दी गई है । पहले जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी और जबकि श्री म० अ० अय्यंगार पीठासीन थे, तो यह निश्चय हुआ था कि सदस्यों को सूचना दे दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह आपत्ति कुछ समय पहले भी की गई थी । जबकि प्रश्न किसी मंत्री विशेष को सम्बोधित किया जाता है और वह यह महसूस करते हैं कि प्रश्न किसी अन्य मंत्रालय को सम्बोधित किया जाना चाहिये, तो प्रश्न दूसरे मंत्रालय को भेज दिया जाता है । माननीय सदस्य को भी इसकी सूचना अवश्य मिलनी चाहिये ताकि उन्हें यह विचार न रहे कि उत्तर निश्चित दिन को दिया जा रहा है । अतः न्यायोचित है कि इस बात का प्रयास किया जाये कि माननीय सदस्य को भी सूचना दे दी जाये । ऐसा किया जायेगा । मैं इसका ध्यान रखूंगा ।

सरकारी कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान

+

†*६. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय ६२,००० सरकारी कर्मचारी सरकारी निवास-स्थान पाने के हकदार हैं किन्तु उन्हें सरकारी क्वार्टर नहीं दिये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन में से पचास प्रतिशत सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें काम करते हुए दस साल हो चुके हैं ;

(ग) यदि हां, ऐसे कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है ; और

(घ) उन्हें सरकारी निवास-स्थान मिलने की क्या संभावनायें हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :** (क) हां, श्रीमान । दिल्ली तथा नई दिल्ली में सामान्य पूल वालों की यह स्थिति है ।

(ख) तथा (ग). उनकी निश्चित संख्या विदित नहीं है ।

(घ) इस वर्ष लगभग और ४००० क्वार्टर पूल को दे दिये जायेंगे । अन्य ३००० क्वार्टरों का भी निर्माण आरम्भ हो गया है । इससे पर्याप्त समय से सेवा कर रहे कर्मचारियों को क्वार्टर मिलने की आशा बढ़ जाएगी ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या यह सच है कि कुछ सरकारी कर्मचारियों को सोनीपत, आदि अन्य दूर स्थानों से आना पड़ता है और, यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें क्वार्टर देने में प्राथमिकता देगी और नये क्वार्टर किस प्रकार दिये जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** दिल्ली में हमारे पास लगभग ६०,००० क्वार्टरों की कमी है। संभव है कि कुछ सरकारी कर्मचारी काफ़ी दूर के स्थानों से आते हों, परन्तु उन में से प्रत्येक को मकान-किराया-भत्ता मिलता है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि जिन सरकारी कर्मचारियों को सरकारी होस्टिलों में आवास दिया गया है कि, उन्हें आकस्मिकता के समय अपना स्थान छोड़ने या खाली करने के नोटिस दिये जाते हैं जब कि अन्य रहने वालों को जिन्हें इन होस्टिलों में आवास पाने का अधिकार नहीं है, अपने स्थान पर अनिश्चित काल तक रहने दिया जाता है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** कदाचित् माननीय सदस्य कुछ व्यक्तिगत मामलों का उल्लेख कर रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** सब व्यक्तिगत मामले नहीं हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** यदि मुझे कोई विशेष मामला बताया जाता है, तो मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम नामक एक नई बस्ती में लगभग ३००० क्वार्टर पिछले तीन सालों से खाली पड़े हैं, यदि हां, तो उन्हें नियत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : लगभग दो या तीन वर्ष पहिले हम ने रामकृष्णपुरम में लगभग ४,००० क्वार्टरों का निर्माण आरम्भ किया था। इनके २५ प्रतिशत, लगभग १,००० क्वार्टर १९६० के अन्त तक पूरे हो गये थे। अन्य ५० प्रतिशत—लगभग २,००० क्वार्टर—१९६१ तक पूरे हो गये थे और शेष १,००० क्वार्टर पिछले तीन महीनों में पूरे हुए हैं। मुख्य कठिनाई बिजली, पानी और नाली जैसी नगर सुविधाओं की रही है। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि मैं मामले की जांच कर रहा हूं और मैं इस बारे में निगम तथा अन्य प्राधिकारों से इस बारे में बातचीत करूंगा कि वे यथाशीघ्र कर्मचारियों को दे दिये जायें।

†**श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या यह सच है कि 'कांस्टीट्यूशन हाउस' में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों से २४ घंटे के अन्दर आवास छोड़ने को कहा गया था ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मुझे कुछ पता नहीं है ।

†**श्री नम्बियार** : क्या यह सच ह कि इस बात को ध्यान में रख कर कि सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों की बहुत कमी ह, उन्हें सहकारिता के आधार पर मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और सरकार सामान, स्थान, आदि के मामले में सहायता देगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही करने के लिए अच्छा सुझाव है।

†**श्री नम्बियार** : नहीं, श्रीमान्। एक आवास योजना है । सरकार को यह करना ही पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार यह कर रही है या नहीं कर रही ?

†**अध्यक्ष महोदय :** कार्यवाही करने के लिए एक सुझाव दिया गया है। मैंने कहा है कि यह बहुत अच्छा सुझाव है परन्तु सरकार को इस पर विचार करना होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नम्बियार** : यह केवल सुझाव नहीं है। एक प्रोग्राम है और सरकार को वह कार्यान्वित करना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि वे उसे कार्यान्वित कर रहे हैं या नहीं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : अध्यक्ष महोदय पहिले ही उत्तर दे चुके हैं।

†**श्री नाथ पाई** : क्या मकान-किराया-भत्ता में, जो कर्मचारियों को दिया जा रहा है, मकान मिल जाता है, यदि हां, तो भत्ता १० रु० से १८ रु० तक होने के कारण क्या सरकार कर्मचारियों को उस भत्ते में आवास तलाश करने में सहायता देगी ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मकान किराया वेतन-क्रम के अनुसार अलग अलग है। मेरी अपनी जानकारी यह है कि दिल्ली में उस दर पर मकान नहीं मिलता, परन्तु मैं सभा को केवल यह बता रहा हूं कि उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत और अधिक मकान बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया जायेगा। परन्तु मेरी कठिनाई यहां ही समाप्त नहीं होती है। मेरी कठिनाई पानी, बिजली और नाली सम्बन्धी है। यदि मुझे जमना का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल सकता, तो मैं समझता हूं कि मैं इसके लिये कुछ नहीं कर सकता।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : बाहर रहने वाले भारत सरकार के कर्मचारियों के बारे में, जिन्हें आवास नहीं दिया गया है, क्या स्थिति है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि सरकार को सरकारी कर्मचारियों से उतनी ही हमदर्दी है जितनी कि उनके साथ इस सभा में किसी को भी है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार के पास ऐसी जानकारी नहीं ह जिससे वह यह निश्चित कर ले कि कितने सरकारी कर्मचारियों को आवास देने की सरकार को आवश्यकता है। यदि उनके पास वह जानकारी नहीं है, तो क्या सरकार यह जानकारी तैयार करेगी ताकि उन्हें विदित हो जाये कि सरकार को अपने कर्मचारियों को कितना आवास देने को आवश्यकता है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : मैं पहिले ही प्रश्न का पूरा उत्तर दे चुका हूं। हमारे पास लगभग ६०,००० क्वार्टरों की कमी है। इसका ब्यौरा यह है :—चतुर्थ श्रेणी ८,७००; ५०० रु० से कम पाने वाले कर्मचारियों के लिए लगभग ५०,००० और ५०० रु० से अधिक वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए ३,७००

बर्मा में भारतीय

+

†*७. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को बर्मा की सरकार द्वारा जारी किये गये नये आदेश की जानकारी है जिस में कहा गया है कि बर्मा में रहने वाले विदेशी, जिन में बहुत से भारतीय शामिल हैं, या तो बर्मा के प्रति या अपने देश के प्रति निष्ठा की घोषणा करें; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस आदेश का भारतीय उद्भव के उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो दूसरे विश्वयुद्ध के बाद वहां पैदा हुए और रह रहे हैं और जिनके पास न तो पारपत्र हैं और न विदेशियों के पंजीयन के प्रमाणपत्र ही हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) भारत सरकार ने अखबारों में यह समाचार पढ़ा है, परन्तु सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि बर्मा सरकार की सरकारी नीति यही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रघुनाथ सिंह**: मैं जानना चाहता हूं कि बर्मा में रहने वाले ऐसे कितने हिन्दुस्तानी हैं जोकि वहीं पर पैदा हुए थे, लेकिन जिन को अभी तक नागरिकता के अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उनके सम्बन्ध में क्या कार्रवाई होगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : बर्मा में भारतीय उद्भव के कुल ५,५०,००० व्यक्ति हैं जिनमें से लगभग १,८०,००० के पास भारतीय पारपत्र हैं । लगभग १,००,००० को बर्मा की नागरिकता का अधिकार होगा । इस के बाद लगभग २,७०,००० व्यक्ति बचेंगे जिन्हें अन्त में भारतीय नागरिक के रूप में पंजीबद्ध कराना होगा ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : तकरीबन पांच छः लाख हिन्दुस्तानियों की एप्लीकेशंज़ सिटिज़नशिप के वास्ते बर्मा में अभी भी पड़ी हुई हैं । क्या सबब है कि बीस पच्चीस साल गुज़र जाने के बाद भी इनको अभी तक नागरिकता के अधिकार वहां नहीं दिये गये हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उनके सम्बन्ध में क्या कार्रवाई हो रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इस प्रश्न का इस सभा में पहिले भी उत्तर दिया जा चुका है । एक कारण यह है कि जब इन व्यक्तियों से बर्मा की नागरिकता के लिए प्रार्थनापत्र देने को कहा गया था, उन्होंने प्रार्थनापत्र नहीं दिये । इसका कारण यह हो सकता है कि या तो उन्हें इसका पता न था या उन्होंने बर्मा की नागरिकता प्राप्त करने की परवाह नहीं की । अतः हमारे सामने यह कठिनाई है ।

†**श्री श्री नारायण दास** : माननीय मंत्री ने बताया है कि प्रश्न का विषय सरकार ने किसी अखबार में देखा है । क्या अखबार के इस समाचार की सचाई के बारे में सरकार ने राजनयिक स्तर पर कोई पूछताछ की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हां, श्रीमान् । हम ने रंगून में अपने मिशन से पूछा ह और हम देखते हैं कि इसमें काफी सचाई है । बर्मा सरकार ने यह तर्क दिया है कि बर्मा में भारतीय उद्भव के ऐसे व्यक्ति बड़ी संख्या में हैं जिन के पास किसी भी प्रकार का कोई यात्रा-पत्र नहीं है । यह सच है । अतः यदि उन्हें किसी को अपने देश से निकालना है, तो वे नहीं जानते कि उन्हें किस देश को भेजें क्योंकि उन व्यक्तियों के पास विदेशी पंजीयन प्रमाणपत्र या पारपत्र नहीं है । अतः स्थिति को निश्चित करने के लिए बर्मा सरकार का यह प्रयास है ताकि उन्हें विदित हो जाये कि कौन बर्मा का नागरिक है और कौन बर्मा का नागरिक नहीं है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी**: प्रतीत होता है कि सरकार कुछ अखबारों में छपे समाचार का सत्यापन नहीं कर सकी । क्या मैं यह समझूं कि हमारी राजनयिक व्यवस्था इतनी धीरे काम करती है कि बाद मे हमें आश्चर्य होता है और कथित कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले परिणामों को रोकने के लिए समय पर कार्यवाही नहीं की जाती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं पहिले ही बता चुकी हूं कि हम ने अपने मिशन से पूछा है । यह सच है । हमें बर्मा की सरकार से कोई सरकारी सूचना नहीं मिली है कि ऐसी कार्यवाही की जा रही है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या बर्मा में भारतीय उद्भव के उन व्यक्तियों को जिन्हों ने बर्मा की नागरिकता प्राप्त कर ली है, बर्मा के प्रति निष्ठा व वफादारी की नई शपथ लेनी होगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह बेकार-का प्रश्न है । एक बार वह नागरिकता स्वीकार करने पर, उनकी वफादारी और निष्ठा निश्चित हो जाती है ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या सरकार को विदित है कि उन भारतीयों की सम्पत्ति जिन्होंने बर्मा की नागरिकता स्वीकार नहीं की है जब्त कर ली गई है ? इस का मूल्य करोड़ों रुपये है और हमारी सरकार ने उन्हें उन की सम्पत्ति वापस दिलाने या उस के लिए प्रतिकर के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह सच नहीं है कि जिन्हों ने बर्मा की नागरिकता स्वीकार नहीं की है उन की सम्पत्ति जब्त कर ली गई है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : भारतीय उद्भव के कितने व्यक्तियों ने बर्मा में हमारे राजदूत से इस बारे में प्रार्थना की है और राजदूत ने इस पर बर्मा सरकार के साथ कहां तक कार्यवाही की है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैंने उत्तर में पहिले ही बता दिया है कि कितने व्यक्ति नागरिकता के पात्र हैं, कितने व्यक्ति पहिले से ही नागरिक हैं और कितने भारतीय या बर्मा की नागरिकता अपनाने पर विचार कर रहे हैं । मैं ने यह भी बताया है कि भारतीय उद्भव के ३,००,००० व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हों ने अपने आप को भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर कराना होगा । इस के लिए उन के अपने कारण हो सकते हैं कि वे भारतीय नागरिक बनना क्यों नहीं चाहते । जिस समय बर्मा सरकार कोई निश्चय करेगी तब इन सब बातों का निश्चय होगा ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या यह आदेश बर्मा में सेना सरकार ने अर्थात् जनरल ने विन की सरकार ने जारी किया है, क्या भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के बारे में बर्मा सरकार की नीति बदल गई है और उन भारतीय राष्ट्रजनों के बारे में भी नीति बदल गई है जो वहां हैं और क्या सरकार का ध्यान

†**अध्यक्ष महोदय** : इतने अधिक क्या नहीं प्रयोग किये जाने चाहियें ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस का सम्बन्ध भारतीय उद्भव के ४,००,००० व्यक्तियों से है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछें ।

† **श्री रामनाथन चेट्टियार** : क्या सेना-सरकार के सत्तारूढ़ होने के बाद नीति बदल गई है और, यदि हां, तो बर्मा में सैनिक डिक्टेटर को इस की सूचना देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : यह बात सरकार बदलने के बाद हुई है । सरकार सरकारी सूचना मिलने पर ही कार्यवाही कर सकती है । अखबारों में यह छपा था और सरकार उसे मानती है, परन्तु हम ने इस बारे में जांच पड़ताल नहीं की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री विभूति मिश्र ।

†**श्री नम्बियार** : वहां कितने प्रतिशत व्यक्ति दक्षिण भारत के हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कम से कम एक मामले में मैं सभा से यह उम्मीद करता हूं कि गलत या सही किसी प्रकार यदि मैं अगला प्रश्न ले लूं तो मुझे पहिले ही प्रश्न पर वापस लाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया जाये ।

†**श्री बडे** : यदि कोई महत्वपूर्ण नीति का प्रश्न हो तो कुछ अधिक समय दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रश्न-काल में चर्चा नहीं होती ।

†**श्री हेम बरुआ** : माननीय सदस्य अपर्याप्त जानकारी दिये जाने पर सन्तुष्ट नहीं होते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : आरम्भ में मैं यही कहना चाहता था । हम ने अधिक प्रश्न लेने का भी विचार किया है, परन्तु हम उस गति से नहीं चल रहे हैं । प्रश्न-काल नीति के उन सब प्रश्नों और अन्य निश्चयों पर चर्चा करने के लिए नहीं है । यदि कोई माननीय सदस्य असन्तुष्ट रहता है या उत्तर पूरा नहीं होता या दी गई जानकारी काफी नहीं होती, तो उस प्रश्न को उठाने और उस पर चर्चा करने के और भी अनेक साधन हैं । हम यथासंभव अधिक से अधिक चर्चा करने का प्रयास करेंगे परन्तु उन के लिए कोई भिन्न प्रक्रिया अपनानी होगी ।

अमरीका को अन्य वस्तुओं के बदले चीनी का निर्यात

†*९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने कुछ अन्य देशों के साथ अमरीका को अन्य वस्तुओं के बदले चीनी के निर्यात के लिये टेन्डर भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । अन्तिम ब्यौरा अभी प्राप्त नहीं हुआ है और उनके उपलब्ध होने पर मेरे साथी, माननीय खाद्य तथा कृषि मंत्री तदनुसार सभा को जानकारी देंगे ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि तत्काल कौन से आधार

अध्यक्ष महोदय : जब कुछ बतलाया ही नहीं गया है तो आप जानना क्या चाहते हैं ?

श्री विभूति मिश्र : फड ऐंड ऐग्रिकल्चर मिनिस्टर हाजिर हैं यहां पर । वह जानते हैं कि हमारे यहां शूगर केन की ऐबन्डेन्स है इसलिये वह जवाब दे सकते हैं कि क्या परिस्थिति है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : फूड ऐंड ऐग्रिकल्चर मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि यह सवाल आने वाला है । लेकिन हम चीनी बेचना चाहते हैं और कपास बाहर से लाना चाहते हैं । यह तो हमारे लिये अच्छा ही है, इस में बिगड़ता क्या है ?

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार कितनी चीनी बेचना चाहती है और कितनी कपास लेना चाहती है । कामर्स मिनिस्टर साहब यह बतला सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री स० का० पाटिल : यह चीज इससे नहीं पैदा होती है । यह तो इतना ही है कि जो डील हो गया उस में कितनी कपास आयेगी और कितनी चीनी जायेगी । उस के आंकड़े मेरे पास अभी नहीं हैं और उस को फिर पूछने की आवश्यकता नहीं है । मैं उस को आनरेबल मेम्बर को दे दूंगा ।

†**श्री पु० र० पटेल :** प्रेस समाचार के अनुसार हम चीनी का निर्यात करेंगे और उस के बदले में कपास आयात करेंगे । क्या इस सरकार ने कोई प्रस्ताव किया है या दूसरी सरकार से प्राप्त किया है कि हम चीनी किस मूल्य पर बेचेंगे—कितने रु० प्रति मन—और कितने रुपये प्रति मन कपास का आयात करेंगे और कपास तथा इस का रेशा किस किस्म का है ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** श्रीमन्, औचित्य के प्रश्न पर, क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री को परसों के लिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये ? आज उन की बारी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि उत्तर नहीं दिया जाता है जबकि दिया जाना चाहिये, तो इस पर आपत्ति की जाती है । यदि उत्तर दिया जाता है जबकि वह दिया जा सकता है, तो भी आपत्ति की जाती है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मैं केवल यह कह रहा था कि आज उन की बारी नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं उन की बात समझता हूं । माननीय मंत्री ने स्वयं वह उत्तर देना स्वीकार किया है, अतः वह उत्तर दे सकते हैं ।

†**श्री स० का० पाटिल :** हम यथासंभव चीनी बेचने के इच्छुक हैं क्योंकि हमारे पास लगभग दस लाख टन चीनी है । हम देश में कपास का स्टाक बनाने के भी इतने ही इच्छुक हैं ताकि इस की कमी न हो । माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि इस सौदे में चीनी किस मूल्य पर बेची गई है और कपास किस मूल्य पर खरीदी गई है ।

†**श्री पु० र० पटेल :** मेरा अभिप्राय था किस मूल्य पर बेची जायेगी ।

†**श्री स० का० पाटिल :** फिर भी, वे आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी :** इस बात को ध्यान में रख कर कि हम ने अमरीका को चीनी ऐसे मूल्य पर बेची है जो भारतीय उत्पादन की परिस्थितियों में इतनी अलाभप्रद है कि सरकार को आर्थिक सहायता देनी पड़ी, क्या मंत्री महोदय गारन्टी दे सकते हैं कि उस तरह का या उस से भी बुरा इस सौदे के परिणामस्वरूप कुछ नहीं होगा ?

†**श्री स० का० पाटिल :** मैं नहीं चाहता कि कोई गलत धारणा बने । अमरीका ने जो मूल्य दिया है वह ऐसा सर्वोत्तम जिस से अधिक और कहीं नहीं मिलता—अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में जो मूल्य मिल सकता है उस से ४० से ५० प्रतिशत तक अधिक है । यदि अमरीका चीनी का हमारा स्टाक ले ले, तो मुझे प्रसन्नता होगी ।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी :** उन्हों ने अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में मूल्य का प्रश्न उठाया है । मेरे प्रश्न का सम्बन्ध हमारे देश में लागत मूल्य और उस मूल्य से है जो हमें अमरीका या अन्य किसी देश को चीनी बेच कर प्राप्त हो सकता है । हम क्या करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अमरीका अमुक मूल्य दे सकता है । चाहे हमारी उत्पादन-लागत कुछ भी हो, हमें यह देखना होगा कि हम उस मूल्य पर बेचें या न बेचें । हमें यह बात निश्चित करनी

---

†मूल अंग्रेजी में

है। यदि हमारे पास चीनी का अतिरेक है और हमें वह बेचना है, तो उस से अधिक मूल्य मांगना हमारा काम नहीं है जो कि वे दे सकते हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : तो देश में भी वह सस्ती होनी चाहिये।

उड़ीसा में पटसन मिल

†*९. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में एक पटसन की मिल की स्थापना के बारे में कोई और प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार से कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनु भाई शाह)** : (क) उड़ीसा में पटसन मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) अभी कोई नहीं मिला।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या यह सच नहीं है कि इस मामले में उड़ीसा सरकार और भारत सरकार के बारे में कुछ पत्र-व्यवहार हुआ था ? पहिले दिये गये एक उत्तर में हमें कहा गया था कि वे उड़ीसा सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वस्तुतः बात यह हुई थी कि पूर्वी प्रदेश के अनेक राज्य हमसे यह मांग करते रहे हैं कि उस प्रदेश और अधिक पटसन मिलों को स्थापित होने दिया जाये। अतः हम किसी भी नये पटसन के मिल की स्थापना की अनुमति नहीं दे सके हैं।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या यह सच है कि इस प्रार्थना के किये जाने के बाद आसाम में एक मिल की स्थापना करने की अनुमति दी गई थी ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हां, परन्तु यह स्थापित नहीं हुआ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: इस बात को ध्यान में रख कर कि पश्चिम बंगाल में अनेक करघे अभी बन्द पड़े हैं, तो क्या उन बन्द पड़े मिलों को चालू किये बिना नये मिल आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह मेरे उत्तर में शामिल है।

†**श्री हेडा** : उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश और आसाम जैसे पटसन उगाने वाले प्रदेशों में अधिक मिल खोलने का प्रयास किया गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब माननीय सदस्य अन्य राज्यों का उल्लेख कर रहे हैं। प्रश्न केवल उड़ीसा के बारे में है।

†**श्री हेडा** : मैं नीति बताई थी और मैं प्रश्न पूछूंगा। क्या उस नीति को लागू करने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : मैं प्रश्न का पहिला भाग भूल गया था क्योंकि वह बाद वाले भाग की व्याख्या कर रहे थे।

---

†मूल अंग्रेजी मे

†**श्री हेडा :** मैंने बताया था कि नीति क्या है। उड़ीसा, आसाम और आन्ध्र प्रदेश जैसे पटसन उगाने वाले क्षेत्रों में पटसन के और मिल स्थापित करने का प्रयास था। यह कहां तक लागू हो गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** प्राचीन समय से पटसन उगाने वाले क्षेत्रों में पटसन के और अधिक कारखाने खोलने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव या कोई नीति कभी न थी। यह सच है कि वे क्षेत्र केन्द्रीय सरकार से मांग करते रहे हैं कि उन प्रदेशों में पटसन के और मिलों को स्थापित होने की अनुमति दी जाये। परन्तु इस बात को ध्यान में रख कर कि हमारी क्षमता पर्याप्त है, किन्तु हम उनके स्थापित होने की अनुमति नहीं दे सके हैं।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की लागत

†*१०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति ने हाल में कहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की वास्तविक लागत मूल प्राक्कलनों से २५ प्रतिशत से ३० प्रतिशत तक अधिक रही है; और

(ख) यदि हां, तो तीसरी योजना की परियोजनाओं के लिये ऐसी कठिनाइयां दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जल सम्भरण तथा स्वच्छता, औद्योगिक बस्तियों, होटलों, कई मंजली इमारतों, माध्यमिक स्कूल और कुछ अन्य परियोजनाओं सम्बन्धी विशिष्ट योजनाओं का अध्ययन करते समय, पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति के निर्माण परियोजनाओं के दल ने यह देखा कि कुछ दिशाओं में लागत की वृद्धि रोकी जा सकती थी अथवा आयोजना, डिजाइन क्रम बनाने, प्राक्कलन तैयार करने एव सामग्री के सम्भरण तथा उत्तम प्रशासनिक एव अन्य तरीकों में सुधार के द्वारा क्रय की जा सकती है। इन तथा अन्य प्रश्नों पर दल द्वारा की गई सिफारिशें, पंचवर्षीय योजना की परियोजाओं सम्बन्धी समिति द्वारा हाल में, 'लागत कम करने की योजना' नाम के प्रतिवेदन में इकट्ठी प्रकाशित की गई हैं, जो सभा पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रख दी गई। देखिये संख्या एल० टी० ८/६२]**

(ख) पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति की आपत्तियों एव निष्कर्षों की ओर केन्द्रीय और राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

तीसरी योजना बनाते समय, परियोजनाओं को समुचित रूप से तैयार करने और लागत अनुमान तैयार करनेके लिये विशेष प्रयत्न किये गये थे तथा सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं एव औद्योगिक तथा खनिज विकास की परियोजनाओं के लिये विस्तृत निगरानी सूचियां निर्धारित की गई थीं।

निर्माण सम्बन्धी लागत में मितव्ययता लाने के उपायों की ओर विशिष्ट ध्यान दिया गया है। योजना आयोग ने इस विषय पर मन्त्रालयों एवं राज्यों को अक्तूबर १९५९ में बहुत सी सिफारिशें कीं तथा इन सिफारिशों पर कार्रवाई करने के प्रयत्न किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

योजना आयोग केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रविधिक अभिकरणों को मन्त्रणा देने तथा निर्माण सम्बन्धी लागत को कम करने के तरीकों की ओर लगातार ध्यान देने के लिये लागत कम करने के सम्बन्ध में एक उच्च-स्तरीय विभागीय समिति स्थापित कर रहा है। समिति की सहायता के लिये पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति में एक प्रविधिक इकाई होगी।

मन्त्रिमण्डल सचिवालय के गठन एवं उपाय अनुभाग तथा पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति निर्माण सम्बन्धी लागतों में अधिक मितव्ययता लाने के तरीकों के बारे में राज्यों और मन्त्रालयों तथा अन्य संस्थानों के लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : विवरण से पता चलता है कि पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं सम्बन्धी समिति ने यह देखा है कि कुछ दिशाओं में लागत बढ़ने से रोकी जा सकती है या घटाई जा सकती है। क्या इससे यह समझा जाए कि योजना बनाने वाले लोगों द्वारा अपनाये जाने वाले लागत निकालने के तरीकों में कुछ मूलभूत गलती है ?

†**श्री नन्दा** : सिफारिशों में लागत निकालने का भी उल्लेख है और यह सुझाव दिया गया है कि इस दिशा में हमें बेहतर व्यवस्था करनी चाहिये।

†**श्री मुरारका** : क्या इन विभिन्न परियोजनाओं की अतिरिक्त लागत का कारण त्रुटिपूर्ण मूल प्राक्कलन है अथवा क्या परियोजनाओं की वास्तविक कार्यान्विति में कोई चीजें फालतू खराब जाती हैं या नहीं धन माल गायब होता है ?

†**श्री नन्दा**: इस विशिष्ट प्रतिवेदन में निर्माण सम्बन्धी लागतों में उल्लेख है और निष्कर्ष यह है कि वृद्धि के अधिकतर भाग का कारण यह है कि प्रारम्भ में काफी ज्यादा प्राक्कलन कम राशि के थे।

†**श्री हेम बरुआ**: इस बात की दृष्टि से कि निर्माण परियोजना दल ने यह सुझाव रखा है कि उत्तम आयोजना तथा अधिक वैज्ञानिक आयोजना के द्वारा लागत का बढ़ना रोका जा सकता है, सरकार ने इस दल को इस सिफारिश विशेष को कार्यान्वित करने की दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

†**श्री नन्दा** : सब से पहले, इन सिफारिशों और इस खास सिफारिश की ओर भी सभी संबद्ध लोगों का ध्यान आकर्षित किया गया है अर्थात् जिन अभिकरणों का निर्माण से सम्बन्ध होता है। एक अन्तर्विभागीय समिति स्थापित की जा रही है—केन्द्र में इस के लिए कि राज्यों में तथा अन्यत्र इन बातों का पालन किया जाय—फैसला किया गया ह। राज्यों में भी ऐसी समितियां स्थापित की गई हैं और की जा रही हैं ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इन में से अधिकांश परियोजनाओं के प्राक्कलन कम क्यों हैं ? क्या कोई ऐसा प्रबन्ध किया गया था अथवा यह केवल संयोगवश है ?

†**श्री नन्दा** : मैं प्रत्येक परियोजना के सम्बन्ध में इस प्रश्न का विशिष्ट रूप से उत्तर देने में असमर्थ हूं। हो सकता है कि कुछ मामलों में अन्य बातों का भी योग रहा हो। किन्तु इस का अधिकतर कारण यह है कि योजना के लिये काफी समय नहीं दिया गया। अब यह विचार है कि अब उन को निर्माण कार्यक्रम के अत्यधिक आवश्यक क्रम के लिये अर्थात् इस की समुचित आयोजना के लिये पर्याप्त समय देना चाहिये।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : बढ़ी हुई लागत कैसे पूरी की गई थी और क्या इस कारण किसी दूसरी योजना की कार्यान्विति में अन्तर पड़ा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नन्दा :** यह प्राक्कलनों के सम्बन्ध में है। स्वभावतः इस का यह अर्थ है कि या तो हमें इस मद के अन्तर्गत आवंटन बढ़ाना पड़ता है या और कोई परियोजना नहीं की जाती। किन्तु साधारणतया कुछ कमियां भी होती हैं जिन से इस की कमी पूर्ति हो जाती है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सही नहीं है कि मूल अनुमानों से कहीं अधिक लागत बढ़ जाने की बीमारी स्थायी हो गई है और सरकार ने इस की परवाह करना छोड़ दिया है? सरकार परवाह हीं करती ?

†**श्री नन्दा :** जी नहीं। बात यह र कि इस के बारे में कई जांचें हुई हैं.

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह यह अपेक्षा करते हैं कि उत्तर 'हां' होना चाहिये ? जब उत्तर स्पष्ट है तो ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहियें ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** मेरा विनम्र निवेदन है कि 'हां' या 'ना' का उत्तर देना आप का काम नहीं है। मंत्री 'हां' या 'न' कह सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** शान्ति, शान्ति।

†**श्री नन्दा :** हम इस की कई बार जांच कर चुके हैं और इस प्रतिवेदन में उन जांचों के परिणाम दिये गये हैं, और इस से यह पता चलता है कि सरकार इन त्रुटियों और न्यूनताओं को मिटाने के लिये कितनी उत्सुक है और इस विवरण में जो उपाय बताये गये हैं, वे किये जा रहे हैं।

राज्य व्यापार निगम

\+

†*११. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ प्रभावशाली व्यापार संघों के सुझाव के अनुसार राज्य व्यापार निगम के कार्य संचालन की जांच करने के लिए एक "उच्चशक्ति" समिति बनाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख) जी नहीं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या सरकार को विदित है कि अधिकतर मामलों में राजकीय व्यापार निगम उन का नाम देने के लिये कुछ प्रतिशत कमीशन लेता है और शेष कार्य विभिन्न दलों द्वारा किया जाता है ? क्या सरकार इस प्रथा को समाप्त करने का प्रयत्न करेगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह शायद मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। किन्तु मैं मा० सदस्य को बता दूं कि जब राजकीय व्यापार निगम का पूरा काम अधिक आयात की अनुमति देना, आयात करना और उन वस्तुओं का निर्यात बढ़ाना जिन को बेचना कठिन है, कमीशन एजेंसी रखना सामान्य बात होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुर्तगाली बस्तियों में रोके गये भारतीय

+

†*१३. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुर्तगाल और उस की बस्तियों में भारतीय नजरबन्दों के प्रश्न के सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(ख) उन व्यक्तियों को मुक्त कराने में कितना समय लगेगा ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) भारत सरकार ने बार बार आग्रह किया है कि पुर्तगाली प्राधिकारियों को चाहिये कि उन्हों ने अपनी बस्तियों में जिन भारतीय राष्ट्रजनों को बन्द कर रखा है, उन को छोड़ दें । प्रारम्भ में, पुर्तगाल सरकार ने अपनी बस्तियों से भारतीय राष्ट्रजनों को छोड़ने के प्रश्न के साथ भारत से पुर्तगाली लोगों के प्रत्यर्पण के प्रश्न को मिला दिया था । पुर्तगाल सरकार ने उस के पश्चात् इन मामलों को न मिलाना स्वीकार कर लिया है किन्तु यह कहा है कि भारतीय राष्ट्रजनों को अपने वीजा समाप्त होने पर पुर्तगाली बस्तियों को छोड़ना होगा । साथ ही उन्हों ने यह भी स्वीकार किया है कि जो लोग पुर्तगाली बस्तियों को छोड़ देंगे उन को अपने साथ अपनी आस्तियां तथा सम्पत्ति आदि ले जाने की अनुमति होगी ।

(ख) पुर्तगाली सरकार ने भारतीय राष्ट्रजनों की रिहाई के लिये कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की है । आशा की जाती है कि इस महीने की समाप्ति तक या अगले महीने के प्रारम्भ में यह काम हो जायगा ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या भारत सरकार ने यह मान लिया है कि पुर्तगाली बस्तियों में रोक रखे भारतीय लोगों की स्थिति का फैसला करने की केवल मात्र क्षमता पुर्तगाली सरकार की है ? इस का यह अर्थ है कि उन पुर्तगाली बस्तियों में रहने वाले भारतीयों को विदेशी माना जा सकता है ? क्या भारत सरकार का यह रवैया किसी अन्तर्राष्ट्रीय विधि अथवा प्रथा के अनुकूल है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं प्रश्न का बाद का भाग समझ नहीं सकी । वह कृपया इसे दुहरा दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं भी इसे नहीं समझ पाया ।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है—यह समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुआ है—कि पुर्तगाली बस्तियों में, अर्थात् मोजंबीक और अन्य स्थानों पर रोक रखे गये भारतीय लोगों की स्थिति पुर्तगाली सरकार की एकमात्र क्षमता का विषय है ? इस का यह अर्थ हैकि भारतीय लोगों को उन पुर्तगाली बस्तियों में विदेशी माना जा सकता है । क्या भारत सरकार का यह रवैया इस बात को मान्यता देता है कि इन भारतीय लोगों को विदेशी समझा जा सकता है, किसी अन्तर्राष्ट्रीय विधि या प्रथा के अनुकूल है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** पुर्तगाली बस्तियों में रहने वाले अधिकतर भारतीयों के पास भारतीय पारपत्र अवश्य होंगे। या, यदि उन के पास दूसरे पारपत्र हैं—पुर्तगाली पारपत्र—तो वे नवीनतम अधिघोषणा या आदेश के अन्तर्गत जिस के द्वारा पुर्तगाली पारपत्र रखने वाले सभी गोआनी उनको दे कर भारतीय पारपत्र ले सकते हैं और भारतीय नागरिक माने जा सकते हैं।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान :** भारतीय लोगों को उस देश के शत्रु नहीं माना जा सकता क्योंकि हमारा पुर्तगाल सरकार के साथ कभी युद्ध नहीं रहा। पुर्तगाली सरकार ने यह रवैया अपनाया है कि भारतीय लोगों को विदेशी समझा जा सकता है और भारत सरकार ने उस को स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचती है, मैं यह जानना चाहती हूं।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं बता चुकी हूं कि जिन के पास भारतीय पारपत्र हैं वे पुर्तगाली सरकार की नजरों में अन्य देशीय होंगे और तब तक उन के वीजा हैं तब तक वे वहां ठहर सकेंगे। जिन गोआनियों के पास पुर्तगाली पारपत्र हैं वे उन को दे कर भारतीय पारपत्र ले सकते हैं यदि वे चाहें।

†**अध्यक्ष महोदय :** आज थोड़े ही प्रश्न लिये जा सके हैं।

†**श्री विद्या चरण शुक्ल :** आज शपथ ग्रहण में पांच मिनट लग गये थे। क्या प्रश्न काल को पांच मिनट नहीं बढ़ाया जा सकता ?

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं। वह भी प्रश्नकाल का अंग है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

पाकिस्तान में गोआनी

†**अल्पसूचना प्रश्न संख्या १.** { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि नये विनियमों के अनुसार, पाकिस्तान में लगभग २०,००० गोआनियों को भयंकर समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि क्या वे भारत आएं या पाकिस्तान के नागरिक बन जायें ; और

(ख) इन गोआनियों के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है, जो या तो पाकिस्तान सरकार की नौकरी में हैं या उस देश में गैरसरकारी सेवा में हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) :** (क) भारत सरकार को पता नहीं कि गोआनी उदभव के कितने व्यक्ति पाकिस्तान में रहते हैं। २८ मार्च १६६२ को जारी की गई एक अधिसूचना के द्वारा, भारतीय नागरिकता, अधिनियम, १६५५ का विस्तार, गोआ, दमन एवं दीवसंघ राज्य क्षेत्रों में किया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति, जो २० दिसम्बर १६६१ से पहले इस संघ राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था (या जिस का माता अथवा पिता या जिस का दादा या दादी उस तारीख से पहले पैदा हुए थे) वे उस तारीख को भारत के नागरिक माने जायेंगे। साथ ही यह भी उपबन्ध किया गया है कि जो व्यक्ति गोआ, दमन और दीव के प्रशासन को लिखित घोषणा करता है कि वह उस नागरिकता या राष्ट्रीयता को अपनाता है जो उस की २० दिसम्बर १६६१ से तुरन्त पहले थी, तो उसे वह विदेशी नागरिकता रखने का हक होगा। गोआनी उद्भव वाले व्यक्ति जो पाकिस्तान में रहते हैं, उन्हें या तो अपनी विदेशी राष्ट्रीयता रखने का हक

†मूल अंग्रेजी में

होगा या वे भारतीय राष्ट्रीयता ग्रहण कर सकते हैं। कराची स्थित भारतीय उच्च आयुक्त को हिदायतें दी गई हैं कि वह यदि लोग अर्जी दें, तो वह पुर्तगाली पारपत्रों के बदले उन लोगों को भारतीय पारपत्र जारी करें।

(ख) भारत सरकार को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि गोआ उद्भव के भारतीय राष्ट्रजन पाकिस्तान में रहें।

श्री रघुनाथ सिंह : पाकिस्तान में इस वक्त गोआ में पैदा होने वाले सज्जनों की आबादी कितनी होगी और उनको क्या भारतीय नागरिक समझा जायेगा या नहीं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य मेरे उत्तर को नहीं सुन रहे थे।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : कितने गोआनी पाकिस्तान मे रह रहे हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : मेरे उत्तर का पहला वाक्य यह था कि भारत सरकार को पता नहीं ह कि पाकिस्तान में कितने गोआनी रहते हैं।

†**श्री हो० ना० मुकर्जी** : कुछ समय पूर्व, इंगलिस्तान की सरकार ने एक गोआनी को जो भारतीय राष्ट्रजन था, पुर्तगाली पत्र लेने को बाध्य किया और अब पाकिस्तान सरकार उन समाचारों के अनुसार जिन का अभी सरकार ने सत्यापन नहीं किया है, उन को अपने आप को पाकिस्तानी घोषित करने के लिये मजबूर कर रही है। क्या राष्ट्रमंडल का अस्तित्व समाप्त हो गया है, अथवा क्या इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये यह सूचना प्राप्त करने के लिये इंगलिस्तान और पाकिस्तान की सरकारों के साथ हमारे सम्बन्ध नहीं रहे हैं ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जो गोआनी पाकिस्तान में हैं, वे उसी स्थिति में होंगे जैसा कि लोग अन्य पुर्तगाली बस्तियों में। क्या उन को यात्रा के पत्र होंगे, भारतीय पारपत्र अथवा पुर्तगाली पारपत्र या पाकिस्तानी पार पत्र। यदि उन के पास भारतीय पारपत्र होंगे, तो वे भारत आयेंगे। यदि पुर्तमाली पारपत्र होंगे, उन्हें स्वतंत्रता है कि वह उन को हमारे उच्च आयुक्त को दे कर उन के स्थान पर भारतीय पारपत्र ले सकते हैं। यदि वे पहले से पाकिस्तानी हैं और उनके पास पाकिस्तानी पारपत्र हैं, और वे भारत आना चाहते हैं तो वे भारतीय नागरिकता अधिनियम के धाराओं के अन्तर्गत देशीयकरण के द्वारा भारत आ सकते हैं।

†**श्री नाथ पाई** : क्या उन गोआनियों के लिये समय-सीमा रखी गई है जिन के पास इस समय पुर्तगाली पारपत्र हैं, कि वे अमुक तिथि तक उन को दे कर भारतीय नागरिकता अपना सकते हैं। यदि हां, तो वह तिथि कौन सी है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : एक महीना, अर्थात् २८ मार्च से २८ अप्रैल तक।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सही नहीं कि गोआनी नागरिक, जो पाकिस्तान में हैं, वे गोआ में पुर्तगाली पारपत्र लेकर वहां गये ? यदि हां, तो क्या उन की संख्या गोआ के कार्यालय से मालम नहीं की जा सकती ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : इसका सत्यापन तभी किया जा सकता है जब वे पंजीयन के लिये अर्जी दें। अभी तक किसी भी व्यक्ति ने पंजीयन की प्रार्थना नहीं की।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अल्जीरिया के साथ राजनयिक संबंध

†*१२. श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वारियर :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्जीरिया की अस्थायी सरकार ने राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने और एक दूसरे देश में अपने अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये भारत सरकार से निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पर कोई निर्णय किया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय – राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) और (ख). स्थिति वही है जो प्रधान मंत्री ने १६ अगस्त, १९६१ को लोक सभा में अपने वक्तव्य में बताई थी । अल्जीरिया में युद्ध विराम और शक्ति हस्तांतरण सम्बन्धी करार १८ मार्च, १९६२ को अल्जीरिया की स्थायी सरकार तथा फ्रांस की सरकार के बीच हुआ । भारत सरकार ने दोनों पक्षों को करार के लिये बधाई दी और वह करार के विभिन्न उपबंधों की सुचारू कार्यान्विति में सहायता देने के लिये जो कुछ कर सकती है, वह कर रही है ।

आयात नीति

†*१४. श्री बासप्पा :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दिनों घोषित की गई आयात नीति से पुराने आयातकर्ताओं और वास्तविक उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है;

(ख) क्या अनेक नई वस्तुओं के आयात में कटौती का, व्यापार तथा उद्योग पर प्रभाव पड़ा था; और

(ग) इस नई आयात नीति से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** :(क) आयात नीति निर्धारित करते समय, देशी उत्पादन की प्रगति, उद्योग के कच्चे माल तथा पुर्जों की अनिवार्य आवश्यकताओं, तथा विदेशी मुद्रा की उपलब्धि और दूसरी अन्य बातों का ध्यान रखा जाता है । नीति से प्रतिष्ठापित आयातकों को चाहे लाभ न होता हो जिनका कुछ चीजों का अभ्यंश कम कर दिया गया है, देशी उद्योग को लाभ पहुंचेगा । वास्तविक उपभोक्ताओं के हितों पर बुरा प्रभाव पड़ने की कोई संभावना नहीं है ।

(ख) जी नहीं । व्यापार तथा उद्योग के हितों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि अभ्यंश में कटौती सामान्यता उस माल के बारे में की गई है, जिसका देशी उत्पादन बढ़ गया है ।

(ग) राशि का सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दमन के किसान

†*१५. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन के किसानों ने भूतपूर्व (पुर्तगाली) शासन की दमनकारी जागी विधियों के, जो कि अब भी लागू हैं, समापन की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले मे क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). दमन के किसानों और जागीरदारों दोनों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर सरकार विचार कर रहे है ।

मद्रास में वृद्धावस्था पेंशन

†*१६. **श्री सोनावने** : क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की एक योजना लागू की है कि जिसके अन्तर्गत १ अप्रैल, १९६२ से ६० वर्ष से अधिक आयु वाले सब व्यक्तियों को कुछ हालतों में पेंशन मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो योजना और उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या ऐसी योजना सारे राज्यों में लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी** : (क) और (ख). मद्रास सरकार ने १-४-६२ से वृद्धि आयु पेशन योजना जारी की जिस में ६५ वर्ष की आयु वाले श्रम उससे बड़ी आयु के निराश्रित लोगों को तथा ६० वर्ष की आयु वाले अथवा उससे बड़ी आयु के उन निराश्रित लोगों को जो अंधेपन, कोढ़, पागलपन, पक्षाघात, या किसी अंग के न रहने के कारण असमर्थ हो गये हैं, २० रुपये मासिक पेंशन देने का उपबंध है, यदि वे एक वर्ष से अधिक समय से रहते हों ।

(ग) वृद्ध आयु-पेंशन योजनाएं उत्तर प्रदेश, केरल और आंध्र प्रदेश की सरकारों के द्वारा लागू की जा चुकी हैं ।

पाकिस्तान में 'भारत से नफरत करो' आन्दोलन

†*१७. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री श्री नारायण दास :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ सप्ताहों से 'भारत से नफरत करो' आन्केालन भड़जकाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान इस अत्यधिक अमित्रतापूर्ण कार्यवाही की ओर आकर्षित किया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं सरकार इस ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक नहीं समझती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

†*१०७. **श्री वीरेन्द्र बहादुरसिंह जी** :क्या **प्रधान मंत्री** २४ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास की संभावनाओं का अब निश्चय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वहां कितने शरणार्थी भेजने का विचार है; और

(ग) उनके लिये राज्य में काम जुटाने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) ३००० तिब्बती शरणार्थियों को मध्य प्रदेश में बसाने का विचार है यदि सरगुजा जिला में दूसरा स्थान भी अन्तिम रूप से अनुमोदित हो जाता है ।

(ग) उन्हें कृषकों के तौर पर बसाया जायेगा ।

गोदावरी खानी में प्रादेशिक अस्पताल

†*१०९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला खान कल्याण संगठन द्वारा गोदावरी खानी (सिंगरेनी की खानों) में एक प्रादेशिक अस्पताल के निर्माण का प्रस्ताव अब किस प्रकम पर है ;

(ख) इस अस्पताल की अनुमित लागत क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कब तक पूरा होने की आशा है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) २९ जनवरी १९६२ को व्यय की मंजूरी दी गई थी ।

(ख) ५९५९६२ रुपये ।

(ग) कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती, किन्तु काम शुरू होने की तारीख से लगभग १८ महीनों में निर्माण कार्य पूर्ण होने की अपेक्षा की जाती है । भूमि मिलते ही काम आरंभ हो जायेगा ।

शक्ति-चालित करघे

†*२०. **श्री प० कुन्हन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना काल के दौरान देश में शक्ति-चालित करघों के अनुपात में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसके लिये कितनी राशि अलग रखी गई है ;

(ग) उस में से केरल राज्य के लिये कितनी रखी गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) केरल में कितनी ऐसी संस्थायें चुनी गई हैं जिन में हथकरघे के स्थान पर शक्ति-चालित करघों का प्रयोग शुरू किया जायेगा और कुल कितने करघों का प्रयोग किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

कोयले की कमी और परिवहन

†*२३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ ने अपनी वार्षिक बैठक में प्रकिया सम्बन्धी विलम्ब और कोयले की कमी और परिवहन के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें की हैं ;

(ख) क्या उन शिकायतों के सम्बन्ध में जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). भारत सरकार को इस महीने की १७ तारीख को, २४ से २६ मार्च, १९६२ तक हुए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडलों के संघ के अन्तिम वार्षिक सत्र में पारित किये गये संकल्पों की एक प्रति प्राप्त हुई । इन संकल्पों में संघ ने अन्य बातों के साथ साथ, प्रक्रिया संबंधी कठिनाइयों को दूर करने, कोयला के प्रर्याप्त संभरण तथा परिवहन क्षमता को बढ़ाने के संबंध में सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों की जांच की जा रही है और समुचित कार्रवाई की जाएगी ।

भारत-तिब्बत व्यापार

*२४ **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भक्त दर्शन :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बासप्पा :
श्री नाथ पाई :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीन सरकार ने भारतीय व्यापारियों को किसी भी प्रकार के माल को लाने ले जाने के आज्ञा-पत्र देने से इन्कार कर दिया है जब कि नैपाली व्यापारियों को ये सुविधायें खुले रूप में दी जा रही हैं यद्यपि वे पूरा माल उठाने में असमर्थ हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारत-तिब्बत व्यापार की अब क्या स्थिति है और इस संबंध में कोई सुधार होने की संभावना है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) जी, हां । यह सच है कि तिब्बत में चीनी अधिकारियों ने भारतीय व्यापारियों पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी हैं। हमारे कुछ व्यापारी जो अस्थायी रूप से अपनी दुकानें बंद करने के बाद याटुंग लौट चुके हैं, उन्हें व्यापार शुरू करने के लिये अनुमति-पत्र नहीं दिए गए हैं। दूसरे जिन व्यापारियों ने तिब्बत में माल ले लिया था, वे उस माल का निर्यात करने के लिये अभी-अनुमति-पत्र पाने का इंतजार कर रहे हैं। इस के विपरीत ऐसे सभी मामलों में नेपाली व्यापारियों को विशेष रियायतें दी गई मालूम होती हैं और उन्हें बिना किसी रोक टोक के तिब्बत से माल तथा सोना, चांदी और बहुमूल्य जवाहरात बाहर भेजने की अनुमति है । संभव है कि कुछ नेपाली व्यापारियों को जितनी व्यापार की मात्रा सौंपी गई ह उसे निभा सकने में उन की क्षमता सीमित हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उन के साथ जो नीति बरती जा रही है उसके द्वारा जानबूझ कर भारत-तिब्बत व्यापार उन के हाथों में रखा जा रहा है ।

(ख) तिब्बत में चीनी अधिकारियों ने रुकावट डालने और सहयोग न करने का जो रवैया अपनाया है, उसका यह नतीजा हुआ है कि पिछले तीन वर्षों में भारत-तिब्बत व्यापार धीरे-धीरे कम होता गया है । आजकल व्यापार बहुत सीमित मात्रा में है । यदि चीनी अधिकारी उन रुकावटों को हटाने के लिए सहमत हो जांय जो उन्होंने हमारे व्यापार और हमारे व्यापारियों पर लगाई हैं और हाल की उन भारत-विरोधी नीतियों को बदल दें जो १९५४ के क़रार की भावना के विरुद्ध हैं तो इस व्यापार में फिर प्रगति होगी। लेकिन इसके कोई संकेत नहीं हैं कि भारत के प्रति चीनियों की नीति में कोई सहायताप्रद परिवर्तन होगा ।

सुरक्षा परिषद् में काश्मीर संबंधी वाद विवाद

†*२५. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मं० रं० कृष्ण :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा परिषद् में काश्मीर सम्बन्धी वाद-विवाद आरम्भ करने के लिये कोई तिथि निर्धारित की है ;

(ख) यदि हां, तो कौन सी तिथि रखी गई है ; और

(ग) क्या यह सच है कि ब्रिटिश सरकार ने परिषद् में वाद-विवाद आरम्भ कराने के पाकिस्तान के अनुरोध का समर्थन करने का कोई संकेत दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). सुरक्षा परिषद् की बैठक २७ अप्रैल, १९६२ को हो रही है, जिस में काश्मीर संबंधी चर्चा की जाएगी।

(ग) हमें इस बात की कोई सूचना नहीं है ।

गोआ में पुर्तगाली नजरबन्दियों का प्रत्यावर्तन

†*२६. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री वासप्पा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में पुर्तगाली नजरबन्दों के प्रत्यावर्तन के प्रश्न को हल करने के लिए पुर्तगाली सरकार से प्राप्त हुई प्रस्थापनाएं क्या हैं?

(ख) क्या उन पर विचार करके कोई निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) से (ग) भारत में पुर्तगाली नजरबन्दों के प्रत्यावर्तन के बारे में भारत और पुर्तगाल की सरकारों के बीच समझौता हो गया है । पुर्तगाल सरकार २ मई को बम्बई हवाई जहाज भेजेगी ताकि नजरबन्दों को कराची ले जाया जाये जहां से उन्हें पुर्तगाली जहाज ले जायेंगे ।

होजरी के माल का निर्यात

†*२८. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होजरी के माल का निर्यात बड़ी तेजी से कम हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है ।

विवरण

पिछले दो वर्षों में होजरी के माल समेत सभी कपड़े के निर्यात में कमी हुई है । होजरी के माल के निर्यात में कमी का मुख्य कारण जापान, हांगकांग आदि जैसे अन्य

†मूल अंग्रेजी में

निर्यातक विदेशों से स्पर्धा, भारतीय माल के अधिक मूल्य और स्थानीय उद्योग को संरक्षण देने के ख्याल से उन विदेशी मंडियों में जहां प्रशुल्क में वृद्धि की गयी है, होजरी कारखानों की स्थापना हैं ।

पाकिस्तान में आन्दोलन

†*२८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने अभी हाल ही में यह आरोप लगाया था कि पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे आन्दोलन का केन्द्र कलकत्ता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस आरोप की सचाई के बारे में छान बीन की है; और

(ग) इसका क्या परिणाम निकला हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां । राष्ट्रपति अय्यूब खां द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य के बारे में समाचार-पत्रों में छपा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि ये आरोप निराधार हैं।

निःशस्त्रीकरण सम्मेलन

†*२९. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बासप्पा :
श्री मोहसिन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेनेवा में हाल में हुए निःशस्त्रीकरण सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने क्या मुख्य प्रस्ताव पेश किए; और

(ख) उनका क्या परिणाम निकला ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख) : भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कोई औपचारिक प्रस्ताव पेश नहीं किये परन्तु कुछ सुझाव रखे जो प्रक्रियात्मक और सारभूत थे । सम्मेलन ने इनमें से कुछ को स्वीकार कर लिया जैसे सर्वांगीण सम्मेलन के अतिरिक्त अनौपचारिक बातचीत करने और समितियां स्थापित करने का विचार। भारत द्वारा रखे गये सुझाव के फलस्वरूप आण्विक परीक्षणों पर रोक लगाने के समझौते के बारे में मतभेद दूर करने के लिये बातचीत करने के लिये, एक उपसमिति स्थापित की गई है जिसमें

---

†मूल अंग्रेजी में

सम्मेलन में भाग ले रहे आण्विक शक्ति वाले तीन देशों के प्रतिनिधि हैं। भारतीय प्रतिनिधि-मंडल ने आगे सुझाव दिया है कि पूर्ण और सामान्य निःशस्त्रीकरण के सम्बन्ध में मतभेद दूर करने और समझौता करने के बारे में प्रयत्न किये जाने के अतिरिक्त सम्मेलन के सह-अध्यक्ष पृथक उपायों के बारे में एक कार्य-सूची तैयार करें जिससे उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिले जैसे आण्विक अस्त्रों का प्रचार न करना, आण्विक निर्बाध-ज़ोनों की स्थापना करना और एक शस्त्रीकरण दल के बारे में सहमत होना। सम्मेलन के सह-अध्यक्ष अभी इन सुझावों पर विचार कर रहे हैं।

भारतीय प्रतिनिति मंडल और निःशस्त्रीकरण समिति के सात अन्य नये सदस्य-देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भी आण्विक शक्ति वाले देशों से अनुरोध किया है कि वे सत्यापन के व्यवहार्य और स्वीकार्य तरीके पर विचार करें ताकि आण्विक अस्त्रों पर रोक लगाई जा सके। यह समझा जाता है कि आण्विक शक्ति वाले देशों ने इस बारे में भारत समेत आठ देशों द्वारा रखे गये अनौपचारिक प्रस्तावों पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

'टेरिलीन' का निर्माण

†*३०. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्पीरियल कैमिकल इंडस्ट्रीज (इंडिया) को भारत में 'टेरिलीन' फाइबर के निर्माण का संयंत्र लगाने का लाइसेंस दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). 'इम्पीरियल केमिकल इन्डस्ट्रीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड' को 'पोलिएस्टर स्टेपल फाइबर (टेरिलीन)' बनाने के लिये प्रति वर्ष ४५००,००० पौंड की क्षमता वाला 'मेनर्ज केमिकल एण्ड फाइबर्स लिमिटेड, बम्बई' के नाम से बम्बई में एक नया औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन लाइसेंस दिया गया है।

उद्योगों में रोजगार की संभावना का सर्वेक्षण

†*३१. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियोजन संस्थानों के निदेशालय ने हाल ही में देश में विभिन्न उद्योगों में रोजगार की संभावना का सर्वेक्षण किया था; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की क्या उपपत्तियां थीं ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

पूर्व निर्मित मकान

†*३२. **श्री बासप्पा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राजधानी में मकानों की कमी को कम करने के लिये पूर्व निर्मित मकान बनाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार कितने मकान बनाना चाहती है ;

(ग) इस में कितना धन लगेगा ; और

(घ) क्या सरकार ने देहली प्रशासन की योजना को स्वीकृति दे दी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (घ) दिल्ली में पूर्व-निर्मित मकान बनाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने विभिन्न प्राधिकारियों से कुछ औपचारिक बातचीत की हैं। अभी तक निश्चित रूप से कोई योजना नहीं बनाई गई है।

काश्मीर के संबंध में पाकिस्तान द्वारा प्रचार

†*३३. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार ब्रिटेन में काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तानी प्रचार का खण्डन करने के लिये कड़े कदम उठाने का है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : सरकार ब्रिटेन की जनता के सामने काश्मीर के बारे में भारतीय विचारों को रखने का सतत प्रयास कर रही है। वह इस बारे में पाकिस्तानी प्रचार के खंडन के लिये तथाकथित 'कड़े कदम' उठाना आवश्यक नहीं समझती। इस प्रचार में मुख्यतः पाकिस्तानी उच्चायुक्त द्वारा वितरित एक पुस्तिका और लन्दन से लगभग पचास पाकिस्तानी विद्यार्थियों और ग्लासगो से लगभग साठ पाकिस्तानी नागरिकों के दो छोटे छोटे जुलूस शामिल हैं। कुछ भारत विरोधी सर्किल के अतिरिक्त इस पाकिस्तानी प्रचार का ब्रिटेन में कोई असर पड़ा मालूम नहीं देता।

उत्तर प्रदेश में मीडियम वेव ट्रांसमिटरों की स्थापना

†*३४. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में रायपुर, जबलपुर और ग्वालियर में मीडियम वेव ट्रांसमिटर की स्थापना में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) कब तक उन के पूरा होने और चालू होने की आशा है ; और

(ग) क्या इन ट्रांसमिटरों पर कार्य अनुसूची के अनुसार हो रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) रायपुर और जबलपुर में ट्रांसमीटर परियोजनाओं की इमारतों का निर्माण प्रगति पर है। ट्रांसमिटिंग उपकरण खरीद लिये गये हैं और जबलपुर और रायपुर में इमारत बनते ही उनको स्थापित कर दिया जायेगा। ग्वालियर में इमारत लगभग तैयार है और वहां पूना से प्राप्त होने पर ट्रांसमिटर स्थापित कर दिया जायेगा।

(ख) वर्ष १९६३ में।

(ग) जी, हां।

निर्यात संवर्द्धन के बारे में मुदालियार समिति

†*३५. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री श्रीनारायण दास :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्रीमती रेणुका राय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात् संवर्द्धन के बारे में रामस्वामी मुदालियर समिति की वे मुख्य सिफारिशें कौन सी हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही शुरू कर दी गई है ; और

(ग) यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) सभा पटल पर संकल्प संख्या २२--निर्यात (५)/६२ दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की एक प्रति रखी जाती है जिसमें निर्यात संवर्द्धन के लिये रामस्वामी मुदालियर समिति की मुख्य सिफारिशें और उन पर सरकारी निर्णय दिया हुआ है। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०--७/६२]** यद्यपि सरकार इस बात से सहमत है कि निर्यात संवर्द्धन के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक व्यापक कार्यक्रम की आवश्यकता है, समिति ने जो विशिष्ट उपायों की सिफारिश की है, उनकी विस्तृत जांच की आवश्यकता है और इस बारे में सरकार का निर्णय शीघ्र ही घोषित किया जायेगा।

भारत के भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों में प्रशासन

†*३६. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संविधान के वे उपबंध जो कि अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हैं, गोआ, दमन और दीव पर भी पूर्ण रूप से लागू कर दिये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो कौन से उपबन्ध अथवा अनुच्छेदों को लागू नहीं किया गया है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

आसाम में तेल समवाय के कर्मचारी

†*३७. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री नाथ पाई :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में तेल समवायों की ओर से ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों ने जो कि पिछले कुछ दिनों से हड़ताल पर थे, सरकार को इस आशय का ज्ञापन भेजा है कि उनके विवाद को मध्यस्थ निर्णय के लिये भेजा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस विषय में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). आयल इण्डिया लिमिटेड के ठेकेदारों के श्रमिकों की ओर से आसाम तेल कम्पनी ठेकेदार संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें यह मांग की गई है कि विवाद को पंच-निर्णय के लिये भेजा जाये। इस प्रार्थना को मानना संभव नहीं है क्योंकि इस संघ को इन श्रमिकों की ओर से अभ्यावेदन करने के लिये सक्षम नहीं पाया गया और इस विवाद को पंच-निर्णय के लिये सौंपने के लिये सम्बन्धित पक्षों के बीच हुआ आवश्यक समझौता भी प्राप्त नहीं हुआ। २३-२-६१ को आसाम पेट्रोल मजदूर यूनियन और आयल इण्डिया के ठेकेदारों के बीच एक सहमत समझौता हो गया है और काम सामान्य रूप से चल रहा है।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*३८. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये कोई अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल नियुक्त किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस में भारत को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है ;

(ग) दल का अध्ययन कार्यक्रम क्या है ;

(घ) उसके सदस्य कौन कौन से हैं ; और

(ङ) उसके निर्देश पद क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २]**

नकली रेशम का धागा

†*३९. **श्री वारियार :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले महीने में आयात किये गये नकली रेशम के धागे की कीमतें बढ़ गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग). यह सच है कि आयात किये गये नकली रेशम के धागे के मूल्य बढे हैं। तथापि किसी विशेष महीने में नकली रेशम के मूल्यों में वृद्धि अथवा गिरावट का ठीक पता लगाना संभव नहीं है। कुल मिला कर, पिछले तीन वर्षों में निर्माता उद्योगों को देशीय उत्पादन तथा आयातित धागे—दोनों तरीके से नकली रेशम के धागे के संभरण में वृद्धि हुई है। एक ओर देशीय उत्पादन बढ़ा कर और दूसरी ओर तैयार किये गये फेबरिक के बड़ी मात्रा में निर्यात के बदले नकली रेशम के धागे के आयात की अनुमति द्वारा संभरण में वृद्धि करने का हर प्रयत्न किया जा रहा है। तथापि अधिक मांग के कारण कमी बनी हुई है।

कर्मचारी भविष्यनिधि योजना

†*४०. **श्री बासप्पा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्यनिधि योजना किन किन अन्य उद्योगों में लागू की गई है; और

(ख) इस योजना के अन्तर्गत आने वाले नये कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) कर्मचारी भविष्यनिधि अधिनियम, १९५२ और उसके अधीन बनाई गई कर्मचारी भविष्यनिधि योजना, १९५२ आरम्भ में वर्ष १९५२ में छः उद्योगों में लागू किये गये थे। जुलाई, १९५६ के बाद से अधिनियम और योजना ५६ और उद्योगों पर लागू की गयी है। अब तक जिन उद्योगों पर यह अधिनियम और योजना लागू हुई है, उनका विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३]**

(ख) १ अगस्त, १९५६ से ३१ दिसम्बर, १९६२ तक लगभग १६.३८ लाख और श्रमिकों पर यह लागू हुई जिससे छूट वाले और बिना छूट वाले संस्थानों में दिसम्बर, १९६१ के अन्त तक श्रमिकों की कुल संख्या ३१.०३ लाख हो गयी।

---

†मूल अंग्रेजी में

राज्यों में योजना बोर्ड

†*४१. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री बासप्पा :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वेंकट सुब्बया :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रिशंग किशिंग :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि राज्यों में राज्य योजना बोर्डों की स्थापना की जाये; और

(ख) यदि हां; तो इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**योजना तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री नन्दा)** : (क) जी, हां।

(ख) राज्य के मुख्य मंत्रियों से उनके विचारों के बारे में उत्तर प्रतीक्षित हैं।

भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का भारत को विधिसम्मत हस्तांतरण

†*४२. **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हो० ना० मुकर्जी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों पर वैध प्रभुत्व है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) और (ख). भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच २८ मई, १९५६ को एक संधि पर हस्ताक्षर किये गये थे जिसके अधीन फ्रांस ने इन क्षेत्रों को भारत को पूर्ण रूप से सौंप दिया था। यह संधि फ्रांस सरकार द्वारा इसके अनुसमर्थन किये जाने के बाद लागू होगी।

आन्ध्र प्रदेश में काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध व्यक्ति

†१. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न काम दिलाऊ दफ्तरों में वर्ष १९६१-६२ के दौरान पंजीबद्ध हुए व्यक्तियों (स्नातक और गैर-स्नातक) की क्या संख्या है; और

(ख) दोनों श्रेणियों में ऐसे व्यक्तियों की क्या संख्या है जिनको उसी अवधि में रोजगार दिलाया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). शिक्षित व्यक्तियों के आंकड़े तीन-तीन महीने के बाद इकट्ठे किये जाते हैं। जनवरी-मार्च, १९६२ की तिमाही के लिये जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। अप्रैल-दिसम्बर, १९६१ की अवधि के लिये जानकारी निम्न प्रकार है :

श्रेणी	अप्रैल-दिसम्बर, १९६१ में पंजीबद्ध हुए व्यक्तियों की संख्या	अप्रैल-दिसम्बर, १९६१ में रोजगार दिलाये गये व्यक्तियों की संख्या
स्नातक	५,९७४	२,०१४
मैट्रिकुलेट (इन्टरमीजियेट समेत)	४१,३१६	८,६७८
मैट्रिक से कम स्तर के (निरक्षर समेत)	१,०५,८४८	१३,३८३
कुल	१,५३,१३८	२४,०७५

कनाट प्लेस में सेन्ट्रल पार्क

†२. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १०४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच कनाट प्लेस में सेन्ट्रल पार्क को कुछ छोटा करने का कोई निर्णय कर लिया गया है ताकि गाड़ियों के खड़ा करने के लिये अधिक स्थान दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

नई दिल्ली में अविवाहितों के लिये होस्टल का निर्माण

†३. **श्री इ० मधुसूदन राव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अविवाहितों के लिये एक होस्टल बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है ताकि केन्द्रीय सचिवालय के बिना-परिवार वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों को निवास-स्थान दिया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है; और

(ग) यह कार्य वास्तव में कब से आरम्भ होगा?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). नई दिल्ली में दो होस्टल बनाने का प्रस्ताव है--एक तो अकेले पुरुष कर्मचारियों के लिये और दूसरा अकेली महिला कर्मचारियों के लिये जिनका वेतन १५० रुपये से ५०० रुपये तक है।

†मूल अंग्रेजी में

अभी प्रस्तावित होस्टलों का ब्योरा अन्तिम रूप से तैयार नहीं किया गया है। अतः अभी ठीक रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि कार्य कब आरम्भ किया जायेगा।

भवन निर्माण आदि की मशीनें

†४. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भवन निर्माण आदि की मशीनों के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन मशीनों का बाहर से आयात रोक दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो वह कब रोका जायेगा?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) बहुत हद तक देश इमारत और निर्माण मशीन में आत्म-निर्भर है।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वारंगल और ककटिया राज्य-वंश सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र

†५. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'वारंगल' और 'ककटिया राज–वंश' सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रलेखीय चलचित्र जनता को कब से दिखाये जायेंगे?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** (क) फिल्म्स डिवीजन ने हाल ही में "आन्ध्र प्रदेश" नामक एक प्रलेखीय चलचित्र तैयार किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वारंगल में कंकटिया काल के स्मारक के बारे में जानकारी है।

(ख) यह प्रलेखीय चलचित्र २२ जून, १९६२ से छविगृहों में दिखाया जायेगा।

काफी उत्पादकों को ऋण

†६. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बोर्ड छोटे काफी उत्पादकों को वित्तीय और अन्य सहायता देता है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वर्ष १९५८ से अब तक ऋण के रूप में कितना अनदान दिया गया ;

(ग) क्या ऋण मंजूर करने का तरीका जटिल और बिलम्बकारी है; और

(घ) यदि हां, तो तरीके को सरल बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) ऋण के रूप में १६.४६ लाख रुपये ।

(ग) और (घ). जी, नहीं ।

पलास से अखबारी कागज बनाना

†८. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन गवेषणा संस्था ने पलास से जिसका अखबारी कागज उद्योग को पता नहीं था, एक नई किस्म का अखबारी कागज बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो इस तरीके की अर्थ-व्यवस्था की जांच कर ली गई है; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क)से (ग). पलास को प्रमुख रूप से कच्चा माल इस्तेमाल कर अखबारी कागज बना कर वन गवेषणा संस्था, देहरादून में किये गये प्रयोग इसको बड़े पैमाने पर बनाने के उत्साहवर्धक परिणाम निकले हैं । इसकी किस्म को सुधारने के लिये और प्रयोग किये जा रहे हैं। अभी इस तरीके की अर्थ-व्यवस्था का पता नहीं लगाया गया है ।

व्यापार सम्बन्धी करार

९. **श्री बाल्मीकी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में किन-किन देशों के साथ नये व्यापारिक करार किये गये ;

(ख) इन करारों का आधार क्या है ; और

(ग) विदेशी व्यापार में कितनी प्रगति हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) १ अप्रैल, १९६० और ३१ मार्च, १९६२ के बीच अफगानिस्तान, आस्ट्रिया, लंका, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ईरान, जोर्डन, मोरक्को, नेपाल, उत्तरी कोरिया, रूमानिया तथा ट्यूनीशिया के साथ नये व्यापार करार प्रबन्ध किये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ये करार सामान्यतः समानता और आपसी लाभ के आधार पर किये गये हैं जिससे व्यापारिक सम्बन्धों को बढ़ाया और मजबूत किया जा सके।

(ग) एक विवरण साथ में रखी है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ४]

पंजाब में औद्योगिक बस्तियां

†१०. **श्री प्र० च० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के कांगड़ा और होशियारपुर जिलों में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक बस्तियों की क्या संख्या है ;

(ख) क्या उनमे से कोई व्यास बांध परियोजना के सम्बन्ध में खाली किये जाने वाले क्षेत्र में पड़ती है ;

(ग) यदि हां, तो कितनी और कौन सी; और

(घ) अब औद्योगिक बस्ती स्थापित करने की योजना का किस प्रकार संशोधन किया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) कांगड़ा जिले के २ शहरी औद्योगिक बस्तियां और ४ ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां स्थापित को जायेंगी और होशियारपुर जिले में एक शहरी औद्योगिक बस्ती और दो ग्रामीण औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जावेंगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भारत-पाक चल सम्पत्ति करार के अन्तर्गत स्थापित क्रियान्विति समिति

†११. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाकिस्तान चल सम्पत्ति करार के अन्तर्गत स्थापित की गई क्रियान्विति समिति की नवीं बैठक इस वर्ष मार्च, मे हुई ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) क्या इस बैठक में सभी मामलों पर अन्तिम रूप से समझौता किया गया ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी, हां।

(ख) कई बातों पर समझौता हुआ जैसे बैंकों में अभी बाकी लाकरों और सेफ डिपाजिटों की अदला बदली बैंकों में पड़ी निष्कान्त व्यक्तियों के अंशों और प्रतिभूतियों की सूची की अदला-

†मूल अंग्रेजी में

बदली, डाकघर बचत बैंक खाते और प्रमाणपत्रों के बारे में सत्यापित सूचियों की अदला-बदली स्वर्ण ऋण खाते का हस्तान्तरण और ठेकेदारों के दावों का सत्यापन।

(ग) जी, नहीं। अगली बैठक जुलाई, १९६२ में होगी।

राष्ट्रीय डिजाइन संस्था, अहमदाबाद

†१२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद मे नयी राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्था के निर्माण के सम्बन्ध में हाल हीं मे लन्दन के एक आन्तरिक डिज़ाइनर को भारत में आमंत्रित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका परामर्श किस बारे में लिया गया ; और

(ग) उसकी सिफारिशें/सुझाव क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री** (श्री कानूनगो): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रद्दी चाय से कैफीन

†१३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही रीजनल रिसर्च लैबोरेटरी, जोरहाट में आसाम की रद्दी चाय से पूरी कैफीन निकालने का नया तरीका ढूंढा गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस तरीके की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस तरीके का प्रचार करना ठीक समझती है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इस तरीके की मुख्य बातें यह हैं कि रद्दी चाय को भाप से गरम किए गये निस्सारक में एक्वैस अलकली[1] के साथ मिला कर उबाला जाता है। साफ पानी मे निस्सारण पुनः किया जाता है तथा जो बच रहता है उसको सुखा लिया जाता है। इस अलकालीन मिली रद्दी चाय के सूखे चूर्ण को अमोनिकल क्लोरोफार्म के साथ मिला कर कई बार निस्सारण किया जाता है और इस प्रकार ९० से ९५ प्रतिशत कौफीन निकल आती है। अमोनिकल क्लोरोफार्म के प्रयोग से कैफीन अधिक निकल सकी तथा अलकलीन चूर्ण से कैफीन निकल भी शीघ्र सकी। इसके प्रचार के सम्बन्ध में निर्णय तभी लिया जायेगा जब पायलट प्लांट स्केल का अध्ययन किया जायेगा।

गणना यंत्रों का निर्माण

१४. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में गणनायंत्र बनाने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी मे

[1]Aqueous Alkili

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सम्भवतः 'गणना यंत्रों', से माननीय सदस्य का आशय उन यंत्रों से है जो कार्यालयों में गणना और जोड़ करने में काम आते हैं। भारत सरकार ने इन यंत्रों का निर्माण करने के लिये कोई भी योजना नहीं बनाई है। फिर भी सरकार ने गणना और जोड़ करने के यंत्रों का निर्माण करने के लिये निजी क्षेत्र की दो योजनाओं के लिये लाइसेंस दिये हैं।

(ख) एक विवरण साथ में नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ५]**

जे० के० रेयन फैक्टरी, कानपुर में हड़ताल

†**१५. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जे० के० रेयन मज़दूर संघ कानपुर, ने केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को भी लिखा है कि जे० के० रेयन, कानपुर में आम हड़ताल में हस्तक्षेप करें और समझौता करायें ;

(ख) क्या इस मामले को सुलझाने के लिये कोई पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किया गया है ;

(ग) क्या इस मामले में राज्य सरकार को कोई परामर्श दिया गया है ; और

(घ) क्या यह हड़ताल जनवरी, १९६२ से हो रही है ?

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). संघ से प्राप्त एक तार कि विवाद में हस्तक्षेप करें, उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दिया गया है क्योंकि मामला उसी सरकार के क्षेत्राधिकार में है।

(घ) मालूम हुआ है कि हड़ताल अब समाप्त हो गई है।

इंडो–यूगोस्लाव व्यापार करार

†**१६. श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, १९६२ में भारत-यूगोस्लाव व्यापार करार पर हस्ताक्षर हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ; और

(ग) करार की शर्तों के अनुसार चालू वर्ष में दोनों देशों के बीच कितना व्यापार बढ़ जाने की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी नहीं। परन्तु २१–१–१९६० से २१–१–१९६४ तक व्यापार तथा भुगतान समझौते की मान्यता को बढ़ाने के लिए ६–२–६२ को एक संधि-प्रारूप[1] किया गया था।

(ख) करार तथा संधि-प्रारूप[1] दोनों सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष व्यापार (आयात तथा निर्यात) लगभग ८ करोड़ रुपये बढ़ जाने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Protocol

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†१७. **श्री बासप्पा** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित-व्यक्तियों पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है ;

(ख) क्या विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास कार्य समाप्त हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब तक चालू रहेगा ।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) लगभग ४०० करोड़ रुपये जिस में पुनर्वास वित्त निगम का ऋण भी शामिल है ।

(ख) और (ग). विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का काम अब लगभग समाप्त हो गया है । परन्तु पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के बारे में पर्याप्त काम बाकी है जिस के लगभग दो वर्ष में समाप्त हो जाने की आशा है ।

मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम

१८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ समय पहले मोटर परिवहन मज़दूरों के बारे में जो अधिनियम पारित किया गया था, उसे अब तक किन-किन राज्यों में लागू किया जा चुका है ; और

(ख) शेष राज्यों में उसके कब तक लागू हो जाने की आशा की जाती है ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). मोटर परिवहन कर्मचारी कानून, १९६१ सब राज्यों में लागू किया गया है (जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर जहां कि यह लागू नहीं होता है)।

अणु शक्ति संयंत्र

†१९. **श्री उमानाथ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजनावधि में कितने अणु शक्ति संयंत्र स्थापित होंगे ; और

(ख) क्या मद्रास सरकार ने मद्रास राज्य में संयंत्र की स्थापना के लिए आदेश दिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) भारत के पश्चिम तट पर तारापुर में पहला अणु-शक्ति केन्द्र १९६६ के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है ।

अन्य अनु शक्ति केन्द्रों के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है । परन्तु योजना आयोग ने अणुशक्ति विभाग को अधिकार दिया है कि दिल्ली-पंजाब-राजस्थान-उत्तर प्रदेश में अणु शक्ति केन्द्र स्थापित करने के लिए उचित स्थान

---

†मूल अंग्रेजी में

चुनें । भविष्य में बनाये जाने वाले शक्ति केन्द्रों के लिए उचित स्थानों के चुनाव के लिए स्थापित विशेषज्ञ समिति ने इस क्षेत्र में स्थान की उपयुक्तता के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है । प्रतिवेदन विचाराधीन है ।

विशेषज्ञ समिति से कहा गया है कि, देश में अणु शक्ति केन्द्रों के लिए अन्य छः उचित स्थानों की सूची भी तैयार करें जिसका तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में आवश्यकतानुसार इस्तेमाल किया जा सके। कम से कम एक स्थान, दक्षिण भारत में विशेषतः मद्रास राज्य में होना चाहिये ।

(ख) मद्रास राज्य समेत विभिन्न राज्य सरकारों से उन के राज्य में अणु-शक्ति की स्थापना के संबंध में अभ्यावेदन मिले हैं।

स्थगन प्रस्तावों के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं साम्यवादी दल के नेता द्वारा भेजे गये एक पत्र का उल्लेख करना चाहता हूं जिस में उन्होंने यह आशंका प्रकट की है कि मैं ने स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अपनी नीति में कुछ परिवर्तन कर लिया है । उन्होंने यह शिकायत की है कि मैं उन से असहयोग कर रहा हूं । इस सम्बन्ध में उन्होंने स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में मेरे इस निर्णय का उल्लेख किया है कि जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचना कल दे दी गयी थी उन्हें आज लिया जा सकता है और उन के संबंध में विलम्ब होने की कोई आपत्ति नहीं की जायेगी ।

वस्तुतः "स्टेट्समैन" में जो वक्तव्य प्रकाशित हुआ है उससे कुछ भ्रांति हो गयी है। मेरे कहने का मतलब यह था कि बहुधा अत्यन्त साधारण मामलों पर स्थगन प्रस्ताव रखे जाते हैं और उन पर अनावश्यक तौर पर सभा का समय नष्ट होता है ।

मैं यह चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के नेताओं की एक बैठक बुलाई जाय उसमें हम इस समस्या के सम्बन्ध में कोई व्यवहारिक हल खोज निकालें जिससे सभा के समय का अपव्यय न हो । हम आज ही सभा की कार्यवाही के बाद मिल सकते हैं और इस सम्बंध में निर्णय कर सकते हैं ।

अवसर यह होता है कि प्रश्न काल में स्थगन प्रस्ताव अध्यक्ष को दे दिये जाते हैं, जिससे वह अथवा सम्बद्ध मंत्री उन पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते ।

अतः मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे सभा की बैठक के कम से कम १५ मिनिट पहिले स्थगन प्रस्तावों को देख लेवें । जिससे मैं उनके सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सकूं ।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कंसरगोड) : 'स्टेट्समैन' की एक खबर के अनुसार हमें यह ज्ञात हुआ था कि आप कुछ नयी परम्परायें कायम करना चाहते हैं, इस सम्बन्ध में आपने हमसे कोई परामर्श नहीं किया था । मैं यह भी उल्लेख करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्ताव और ध्यान दिलाऊ प्रस्ताव में बुनियादी भेद है, अतः स्थगन प्रस्ताव को ध्यान दिलाऊ प्रस्ताव में बदलना उचित नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि कोई स्थगन प्रस्ताव, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव बना दिया जाय तो सम्बन्धित सदस्य को यह समझना चाहिए कि उसका स्थगन प्रस्ताव स्वीकार हो गया है । मैं इस सम्बन्ध में सभा का और अधिक समय नहीं लेना चाहता, हम इस मामले पर अपनी बैठक में विचार करेंगे जो सदस्य इस मामले में रुचि रखते हो वह वहां उपस्थित हो सकते हैं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : विरोधी सदस्यों का यह एक विशेषाधिकार है कि वे महत्वपूर्ण विषयों पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, इनको अस्वीकार करना अथवा उन्हें ध्यान दिलाऊ प्रस्तावों में बदल देना लोकतंत्र का मंजाक है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्तावित बैठक में सदस्य अपने विशेषाधिकारों के बारे में जो कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अन्दमान द्वीप समूह में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

†**श्री सुबोध हंसदा** (झाड़ग्राम) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं गृह कार्य मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं :

> "अन्दमान द्वीप समूह में मजदूरों में बेचैनी और उस के फलस्वरूप पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कई अन्य घायल हुए"....

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : ९ अप्रैल, १९६२ को पोर्ट ब्लेयर तथा दक्षिण अन्दमान के लोक निर्माण विभाग की दो वास्तु कार्य-डिवीजनों तथा एक संधारण डिवीजन के मजदूरों ने बिना नोटिस दिये हड़ताल कर दी । इन लोगों की संख्या १५०० थी और उन्होंने मिल कर सचिवालय की इमारत के आगे से जलूस निकाला । मुख्य इंजीनियर इन लोगों से मिल कर उनकी मांगें जानने को तैयार था । परन्तु उनका कहना था कि उनके कोई प्रतिनिधि नहीं हैं जिन्हें उनके पास मिलने भेजा जाय और अशिक्षित होने के कारण वे अपनी मांगें लिख कर भी दे सकने में असमर्थ है । इसके बाद लगभग १० व्यक्ति मुख्य इंजीनियर से मिले और उन्हें अपनी दो मांगें बताई । प्रथम बात तो यह थी कि वे चाहते थे कि उनकी मजदूरी में पांच रुपये माहवार की वृद्धि कर दी जाय और दूसरी यह कि सामयिक श्रमिकों के बारे में नियमित वेतन क्रमों के जारी करने के बारे में थी । मुख्य इंजीनियर ने उन्हें बताया कि उनके वेतन बढ़ाने के मामले को भारत सरकार के पास भेज दिया गया है । जहां तक दूसरी मांग का सम्बन्ध है लोक निर्माण विभाग के विभिन्न डिवीजनों के कर्मचारियों की संख्या को स्थानीय प्रशासन द्वारा निश्चित किया जाता है । उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सामयिक श्रमिकों की एक समान संख्या को नियमित वेतन क्रमों का अन्य लाभ मिलता रहेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

परन्तु श्रमिकों ने किसी भी बात की परवाह न की । उन्हें बार बार कहा गया कि बिखर जायें और काम पर चले जायें । परन्तु कई बार प्रार्थना करने पर भी इसका उन पर कोई प्रभाव न हुआ । वे बराबर सचिवालय में ठहरे रहे । इस पर ही बस नहीं । उन्होंने उत्पात भी करने का यत्न किया । मुख्य इंजीनियर महोदय तथा अन्य अधिकारियों की जीप मोटर गाड़ियों को घेर लिया । इस परिस्थिति में पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा । लगभग ढाई बजे जलूस लोक निर्माण विभाग के फोयनिक्ख खाड़ी में स्थित लोक निर्माण विभाग गोदामों की ओर गया तथा बस्तियों में वितरण करने के लिये ट्रकों पर चादरों को लादने के कार्य को रोका । जिलाधीश तथा पुलिस के सुपरिंटेंडेंट भी शाम को उन लोगों से मिले । उन्हें यह बताने के यत्न किये गये कि उनकी मांगों पर पहले सहानुभूतिपूर्वक विचार हो रहा है । परन्तु उन्होंने उस समय तक उस स्थान को छोड़ने से इन्कार कर दिया जब तक कि उनकी मांगें पूरी न हो जायें । इसके अतिरिक्त उन्होंने अन्य विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों को काम करने से रोका ।

१० अप्रैल को प्रातःकाल भी लगभग २०० मजदूरों ने पी० डब्ल्यू० डी० स्टोर के निकट धरना दिया तथा लगभग ४० मजदूरों को काम पर जाने से रोका । इस प्रकार की स्थिति में जिलाधीश ने धारा १४४ के अन्तर्गत आदेश जारी किया जिसका आशय मजदूरों को हिन्दी और तमिल में माइक्रोफोन पर समझा दिया गया । इस पर भी मजदूर तितर बितर नहीं हुये । इसके बाद उन पर पाइप से पानी फैंक कर उन्हें तितर बितर करने का प्रयत्न किया गया फिर अश्रु गेस काम में लाई गयी और एक पुलिस दस्ता बेंत लेकर उनकी ओर बढ़ा । मजदूरों ने उस पर पत्थर और खाली बोतलें फैंकी जो जिलाधीश तथा पुलिस दल के अन्य सदस्यों को लगीं । घायल होने वालों में पुलिस के सुपरिंटेंडेंट भी सम्मिलित थे । जब अन्य उपाय असफल रहे और स्थिति काबू से बाहर होने लगी तो पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया गया । एक मजपुर मर गया तथा २३ घायल हुये । उन्हें तुरन्त अस्पताल ले जाया गया जहां दो मजदूर और मर गये । गोली चलाने के बाद जब पुलिस घायलों को अस्पताल ले जा रही थी तो भीड़ ने पुनः उग्र रूप धारण कर लिया और जिलाधीश तथा पुलिस सुपरिंटेंडेंट पर हमला किया । जिलाधीश पर भी हमला किया गया । जिलाधीश की जीप को तोड़ फोड़ कर उलट दिया गया । दोनों अधिकारी बचकर एक पास की इमारत में घुस गये । इस सारी स्थिति में समस्त प्रमुखस्थानों पर पुलिस तैनात की गयी ।

इसके पश्चात जो रिपोर्टें प्राप्त हुई है उनसे पता चला है कि बरमानल्ला पर एक पुल तोड़ा गया था और दक्षिण अन्दमान द्वीपों के ग्रामीण क्षेत्रों में ३ अथवा ४ पुल पूरी तरह नष्ट कर दिये गये थे । विम्बर्ली गंज और पोर्ट ब्लेयर के बीच टेलीफोन सम्पर्क टूट गया था । ताजा रिपोर्ट यह है कि बाद में कोई घटना नहीं हुई है और स्थिति पर काबू पा लिया गया है ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : क्या इस मामले में जांच की जा रही है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस कांड की जांच की जा रही है और महाराष्ट्र के एक न्यायिक अधिकारी को इस मामले के सम्बन्ध में जांच करने के लिये भेजा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जयपाल सिंह** (रांची–पश्चिम) : वहां के मुख्य आयुक्त द्वारा नहीं, किसी बाहर के व्यक्ति द्वारा ही जांच की जानी चाहिये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : मेरा मत तो यह है कि सारी प्रशासनिक मशीनरी की जांच की जानी चाहिए और यह भी बताया जाना चाहिए कि यह मजदूरी के प्रश्न को कैसे हल किया जा रहा है ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : जांच होनी चाहिए ताकि देशवासियों को पता लग सके कि हमारे मंत्री महोदय इस समस्या को हल करने के लिए कुछ कर रहे हैं ।

†**श्री ह० प० चटर्जी** (नवद्वीप) : मामला गम्भीर है । मजदूर लोग रोटी की मांग कर रहे थे और उन पर गोलियां चलाई जा रहे थी ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री : यदि मुख्यायुक्त की जांच भी सतोषप्रद न हुई तो इस मामले की जांच के लिये महाराष्ट्र से एक न्यायिक अधिकारी भेजा जायगा ।

प्रक्रिया के बारे में

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं ने इलाहाबाद की एक भीड़ पर गोली चलाने की घटना पर स्थगन प्रस्ताव भेजा था; परन्तु, आपने उसे अस्वीकृत कर दिया। क्या मैं इसके कारण जान सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मामला राज्य की आन्तरिक सुरक्षा से सम्बन्ध रखता है, अतः इस पर यहां चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

सरपी कजोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन

†**श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी)** : मैं २३ मार्च, १९६२ को सरपी कजोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये सख्या एल० टी० ४/६२]

नकली रेशम (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या स० ओ० १०५९ में प्रकाशित नकली रेशम के कपड़े (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ९६५ में प्रकाशित निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० ६/६२]

सभापति-तालिका

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम ९(१) के अन्तर्गत मैं सदन को सूचित करता हूं कि मैंने निम्नलिखित व्यक्तियों को सभापति-तालिका का सदस्य मनोनीत किया है :—

(१) श्री मूल चन्द दुबे

(२) श्री जगन्नाथ राव

(३) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

(४) श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी

(५) श्री शाम नाथ (दिल्ली के भूतपूर्व महापौर)

मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस रूप में काम करना स्वीकार कर लिया ।

रेलवे आयव्ययक, १९६२-६३

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय रेलवे मंत्री ।

†**रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने १९६२–६३ में रेलवे की आमदनी और खर्च का अनुमान पेश करने के लिये खड़ा हूं ।

२. १९६२–६३ के पूरे वर्ष का अन्तरिम अनुमान पेश करते समय मेरे पूर्ववर्ती मंत्री, श्री जगजीवन राम ने यह स्पष्ट कर दिया था कि आमदनी और खर्च का यह अनुमान "भाड़े और किराये की वर्तमान दर और लागत" के आधार पर तैयार किया गया है ताकि वर्ष के पहले तीन महीनों के खर्च के लिये यथासंभव आनुपातिक रकम स्वीकार करने में सुविधा हो। उन्होंने बताया था कि इस आधार पर विकास निधि में जमा करने के लिये लगभग १३.१६ करोड़ रुपये की बचत होगी । उन्होंने यह भी कहा था कि चूंकि १९६२–६३ में विकास निधि से होने वाले कामों पर खर्च की तुलना में बचत बहुत कम होगी, इसलिये जब तक रेलवे के साधन बढ़ाये नहीं जाते, सामान्य राजस्व से अस्थायी कर्ज लेना अनिवार्य होगा । पहले के अनुमानों के अनुसार बजट के व्याख्यात्मक ज्ञापन में इस कर्ज की रकम ९.८८ करोड़ रुपये दिखाई गई थी । लेकिन अभी हाल में केन्द्रीय सरकार के कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार ने जो फैसला किया है, उसकी वजह से रेलवे का संचालन व्यय बहुत बढ़ गया है । महंगाई भत्ता १ नवम्बर, १९६१ से बढ़ाया गया है । उस तारीख से लेकर महंगाई भत्ते के रूप में १२.२० करोड़ रुपये का अधिक भुगतान करना होगा । रेल किराये और भाड़े

---

†मूल अंग्रेजी में

की वर्तमानदर पर रेलवे की आमदनी की देखते हुए, संचालन-व्यय में उपरोक्त वृद्धि के कारण अन्तरिम अनुमान में १३.१६ करोड़ रुपये की प्रत्याशित बचत प्रायः समाप्त हो जायेगी और इस तरह रेलवे विकास निधि के लिये समाप्य राजस्व से २२ करोड़ रुपये से अधिक का अस्थायी कर्ज लेना होगा। जैसा कि रेलवे बजट के श्वेत-पत्र में बताया गया है, दूसरी आयोजना के पिछले तीन वर्षों में इसी तरह के काम के लिये सामान्य राजस्व से कर्ज लिया गया था, लेकिन कर्ज की रकमें थोड़ी थीं। १९५४ के रेलवे अभिसमय' में इस बात की व्यवस्था है कि जरूरत पड़ने पर इस तरह का कर्ज लिया जा सकता है। लेकिन १९६० की रेलवे अभिसमय समिति के सुझाव के अनुसार कर्ज विशेष ढंग से चुका दिया गया ताकि तीसरी, आयोजना बिना किसी बकाया देनदारी -के शुरू की जाय। स्पष्टतः साल-ब-साल इस तरह का कर्ज लेना न वांछनीय है और न व्यावहारिक, लेकिन यदि रेलवे के साधन बढ़ाये नहीं जाते, तो सामान्य राजस्व से कर्ज लेना अनिवार्य होगा। अपने फरवरी, १९६१ के बजट भाषण में भी श्री जगजीवन राम ने सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया था कि हाल के वर्षों में यात्री-किराये में कोई वृद्धि नहीं हुई है और मालभाड़े की दर भी परिवहन की लागत में जो वृद्धि हुई है उसके अनुरूप नहीं है। इस सम्बन्ध में यह बात याद रखने योग्य है कि एक ओर वाणिज्य विभाग के रूप में रेलवे को सीमा शुल्क, कोयले पर उप-कर और उत्पादन-शुल्क, बिक्री-कर, इमारतों आदि पर म्यूनिसिपल कर (जो इस समय वर्ष में लगभग १५ करोड़ रुपये आता है) के अतिरिक्त सामान्य राजस्व को बढ़ती हुई ब्याजदेय पूंजी पर ४.२५ प्रतिशत की दर से लाभांश और यात्री-किराया कर के बदले १.२५ करोड़ रुपये देने होते हैं और दूसरी ओर लोकोपयोगी व्यवस्था के रूप में रेलवे से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिये परोक्षतः भारी अंशदान की भी अपेक्षा की जाती है।

३. इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि लागत की प्रवृत्तियों पर विचार करने के बाद रेल भाड़ा दर जांच समिति अप्रैल, १९५७ की अपनी रिपोर्ट में इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि यदि योजनाबद्ध विकास की अवधि में रेलवें को वह काम पूरा करना है, जिसकी हम उससे आशा करते हैं, और यदि उसकी वित्तीय स्थिरता कायम रखनी है, तो वर्तमान भाड़ा-दर को बढ़ाना जरूरी है। समिति ने रेलवे की परिचालन-कुशलता के प्रश्न पर भी विचार किया और यह जानना चाहा कि यदि परिचालन-कुशलता बढ़ जाय, तो क्या रेलवे का परिवहन व्यय घट जायेगा और इस प्रकार क्या रेलवे को पर्याप्त रकम मिल जायेगी। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यद्यपि परिचालन में सुधार करने के लिए रेलें बराबर प्रयास कर रही हैं, लेकिन अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाड़ा-दर बढ़ा कर उन्हें अपनी आमदनी बढ़ानी चाहिए। इस सम्बन्ध में समिति ने यह विचार प्रकट किया था कि "यदि रेलवे को घाटा हो, तो उसे पूरा किया जाय। यदि यह घाटा भाड़ा-दर बढ़ाने की बजाय सामान्य कर लगा कर पूरा किया जाय, तो सम्भवतः उद्योग धन्धों और व्यापार के विस्तार पर इसका अधिक बुरा प्रभाव पड़ेगा।" बजट पुस्तिकाओं के साथ माननीय सदस्यों को 'परिवहन-कार्य की समीक्षा नामक एक रिपोर्ट दी जा रही है। उस में बहुत कुछ विस्तार के साथ बताया गया है कि अधिक यातायात सम्हाल कर रेलों ने अपनी परिचालन-कुशलता में जो सुधार किया है, उसकी वजह से जिस अनुपात में कर्मचारियों, कोयले और दूसरे सामान पर खर्च बढ़ा है, ठीक उसी अनुपात में रेलवे के भाड़े और किराये बढ़ाने की जरूरत नहीं हुई। सभी सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करने के बाद रेल-भाड़ा दर जांच समिति ने भाड़े की दर बढ़ाने का जो सुझाव रखा था, उसके फलस्वरूप उस समय लागू दर के आधारा पर माल-यातायात की आमदनी में लगभग १२.९ प्रतिशत की वृद्धि होती।

[श्री स्वर्ण सिंह]

लेकिन चूंकि उस समय इस बात का कोई संकेत नहीं था कि वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल करने पर कितना खर्च आयेगा, इसलिए १ अक्तूबर, १९५८ से भाड़े की दर में जो वृद्धि की गयी, उसे सरकार ने माल-भाड़ की आमदनी में केवल लगभग ४ प्रतिशत वृद्धि के अनुरूप सीमित रखा । बाद में वतन आयोग की खास-खास सिफारिशों पर अमल करने के उद्देश्य मात्र से १ अप्रैल, १९६० से माल-भाड़े पर ५ प्रतिशत अधि-प्रभार लगाया गया और अभी हाल में १ जुलाई १९६१ से कोयले की भाड़ा-दर आदि में जो संमंजन किये गये हैं, उन से बहुत थोड़ी आमदनी (केवल लगभग १.७५ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष) हुई है।

४. महंगाई भत्ता बढ़ गया है । इसके अलावा भी योजना के निर्धारित कार्य-क्रम को पूरा करने के लिए, लागत की वर्तमान ऊंची दरों पर, रेलवे को अतिरिक्त पूंजी लगानी पड़ेगी। इस पूंजी पर समुचित प्रतिफल पाने के लिए यह उचित है कि रेल-भाड़े की दर कुछ और बढ़ायी जाय । इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि अप्रैल, १९५७ के बाद कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जो दो बार वृद्धि हुई (एक पहली जुलाई, १९५७ से और फिर अब) और पहली जुलाई १९५९ से वतन आयोग की खास-खास सिफ़ारिशों पर अमल करने का जो भारी वित्तीय प्रभाव पड़ा, रेल-भाड़ा दर जांच समिति की अप्रैल, १९५७ की सिफारिशों में उसका कोई लेखा-जोखा नहीं किया जा सकता था । रेल भाड़ा-दर जांच समिति की दूसरी सिफारिश यह थी कि भारतीय रेलें केवल उपनिहिती का उत्तरदायित्व नहीं, बल्कि सार्वजनिक वाहक की पूरी दायिता स्वीकार करें । समिति की इस सिफारिश पर पहली जनवरी, १९६२ से अमल किया गया है । यद्यपि माल की सुरक्षा, उस पर निशान लगाने और उसे पैक करने की व्यवस्था को सुदृढ़ कर के क्षतिपूर्ति के दाव की रोक-थाम की कोशिश जारी रहेगी, फिर भी सार्वजनिक वाहक दायिता ग्रहण करने के फलस्वरूप रेलों को हर साल लगभग २ करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे । इन सब नयी दायिताओं को ध्यान में रखते हुए इस बात की आवश्यकता है कि रेल भाड़े की दर तुरन्त बढ़ा दी जाय ।

५. पहली जुलाई, १९६२ से भाड़ की बुनियादी दर में ४० किलो मीटर तक माल की ढुलाई के लिए ५० नय पैसे प्रति मीटरिक टन और ८० किलोमीटर से ऊपर एक रुपया प्रति मीटरिक टन के हिसाब से वृद्धि करने का विचार है । ४१ और ८० किलोमीटर के बीच की दूरी के लिए सीमान्त समंजन करने का विचार है । भाड़े की दर में प्रस्तावित वृद्धि कोयले की ढुलाई पर भी लागू होगी। लेकिन अनाज के भाड़े में प्रति मीट-रिक टन एक रुपये की वृद्धि केवल उसी हालत में होगी जब अनाज १६० किलोमीटर से अधिक दूर ढोया जाय । ४१ किलोमीटर और १६० किलोमीटर के बीच की दूरी के लिए कुछ सीमान्त समंजन किया जायेगा ।

[**श्री त्यागी (देहरादून) : इसका मीलों की दूरी से कोई संबंध नहीं रहेगा।**]

माल भाड़ पर इस समय जो ५ प्रतिशत पूरक प्रभार लिया जाता है वह भी जारी रहेगा । रेलवे के सामान, डाक यातायात, सैनिक यातायात और निर्यात के लिए मैंगनीज खनिज पर भाड़ा नहीं बढ़ाया जायगा । जानवरों और गन्ने के भाड़े में यह वृद्धि कुछ कम होगी, क्योंकि इनका भाड़ा माल-डिब्बे के आधार पर लिया जाता है।

भाड़े की दर में वृद्धि किसी भी हालत में प्रति मीटरिक टन, १०५ नये पैसे से अधिक नहीं होगी चाहे कोई भी माल कितनी ही दूर क्यों न ढोया गया हो। भाड़े की दर में प्रस्तावित वृद्धि से माल-यातायात की पूरे वर्ष की बर्तमान आमदनी में लगभग ४० प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। इस प्रकार मालभाड़े में साधारण वृद्धि होगी जो प्रायः सभी तरह के माल पर लागू होगी और इस तरह लगायी जायेगी कि किसी माल पर अधिक बोझ न पड़े। संशोधित भाड़ा-दर वर्तमान दर की तुलना में 'अधिक दूरी-कम किराया' नीति के कुछ अधिक निकट होगी। वास्तव में यह उचित भी होगा क्योंकि ख़र्च के कोई ऐसे मद बढ़ गये हैं जिनका परिवहन की दूरी से कई सम्बन्ध नहीं है। भाड़े में समान वृद्धि का जो प्रस्ताव रखा गया है उससे ऊंची दर वाले माल के भाड़े में अधिक वृद्धि नहीं होगी और साथ ही न्यूनतम और अधिकतम भाड़ा दर के बीच का अन्तर कम करने की दिशा में यह एक कदम होगा और परिवहन नीति और समन्वय समिति का आशय भी यही था। इसके अलावा इस प्रस्ताव के फलस्वरूप कम दूरी वाले रेल-यातायात के भाड़े में प्रतिशत वृद्धि कुछ अधिक होगी। इसका परिणाम यह होगा कि कम दूरी वाला माल लोग रेल की बजाय सड़क से भेजेंगे और यह वांछनीय भी है।

६. जहां तक यात्री किरायों का प्रश्न है, यह बात उल्लेखनीय है कि सितम्बर १९५७ से जो यात्री किराया कर लगाया गया (यह कर राज्य सरकारों को बांटने के लिए सामान्य राज्य-कोष को दिया जाता है, रेलों को नहीं मिलता) उसके अलावा पहली अप्रैल, १९५१ से (सीज़न टिकटों के सम्बन्ध में पहली जनवरी, १९४८) से वातानुकूल दर्जे को छोड़ कर किसी दर्जे के बुनियादी किराये में प्रायः कोई परिवपर्तन नहीं किया गया। वातानुकूल दर्जे के किराये में की गयी वृद्धियों को छोड़कर पहली अप्रैल, १९५५ से किराये में जो छोटे-छोटे समंजन किये गये, उनका उद्देश्य केवल यह था कि किराये की दर में युक्तियुक्त परिवर्तन करके लम्बे सफ़र के यात्रियों आदि को समुचित राहत दी जाय। रेल यात्रियों के किराये पर जो कर लगाया गया उनकी वजह से अप्रत्यक्ष रूप से यात्री-किराया बढ़ाने की गुंजाइश कम हो गयी, यद्यपि १९५७-५८ से रेलवे का खर्च पूरा करने के लिए किराये की दर बहुत कम थी, क्योंकि इसी वर्ष से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को जो अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिया गया, उसकी वजह से रेल कर्मचारियों पर वार्षिक खर्च लगभग ६ करोड़ रुपये बढ़ गया। पहली अप्रैल, १९६१ से यह कर यात्री किराये में मिला दिया गया। इससे हिसाब रखने में आसानी हुई है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि यात्री किराया कर के बदले १९६१ से १९६६ तक की पांच-वर्ष की अधिक में रेलवे द्वारा सामान्य राजस्व को साल में १२.५ करोड़ रुपये की नियत रकम देनी है, जो राज्य सरकारों को दी जायेगी। इस प्रकार रेलवे को मिलने वाले राजस्व की दृष्टि से पहली अप्रैल, १९५१ से यात्री किराये की दर में वस्तुतः कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और रेलवे के संचालनव्यय में जो वृद्धि हुई है उसके अनुरूप आंशिक रूप में भी किराये में कोई वृद्धि नहीं हुई है। अपने साधनों के अनुसार रेलों ने गाड़ियों और स्टेशनों पर यात्रियों को अधिक सुविधा देने और गाड़ियों में यथासम्भव भीड़-भाड़ कम करने का प्रयास किया है। यद्यपि योजना में यात्री-यातायात में केवल १५ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया था और पहले यातायात में इतनी ही वृद्धि की व्यवस्था भी की गयी थी, फिर भी रेल प्रशासनों ने सवारी डिब्बों में २६.४ प्रतिशत और बैठने की जगहों में २३ प्रतिशत वृद्धि कर ली। इस प्रकार वे अतिरिक्त यात्री यातायात की जरूरतों को बहुत कुछ पूरा करने में सफल रहीं। यद्यपि सितम्बर, १९५७ में जो यात्री किराया कर लगाया गया और पहली अप्रैल, १९६१ को यात्री किराये में मिला दिया गया, उससे होने वाली आमदनी रेलवे को नहीं मिलती, फिर भी यह सच है कि इससे रेल-यात्रियों

[श्री स्वर्ण सिंह]

पर औसत भार लगभग १० प्रतिशत बढ़ गया है लेकिन तथ्य यही है कि यात्रियों से कुल जितना प्रभार लिया जाता है उसमें १९५७ से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

७. ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह महसूस किया जाता है कि यात्री किराये को इस प्रकार बढ़ा दिया जाये ताकि वर्तमान दरों के आधार पर यात्री-यातायात से जितनी आमदनी होती है, उससे पूरे वर्ष में लगभग १० प्रतिशत अधिक आमदनी हो। किराये में यह वृद्धि पूर्णतः उचित ही नहीं, वास्तव में बहुत कम है। **[श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : जी नहीं, यह वृद्धि उचित नहीं है]**

८. हर दर्जे के किराये में प्रस्तावित संशोधन के आधार बजट के पूरक व्याख्यात्मक ज्ञापन में दिये गये हैं जो बजट साहित्य के साथ माननीय सदस्यों को दिया जा रहा है। पहले दर्जे के किराये में प्रस्तावित वृद्धि की औसत लगभग १५ प्रतिशत और दूसरे और तीसरे दर्जे में १० प्रतिशत से कुछ कम होगी। वातानुकूल तीसरे दर्जे के लिये साधारण तीसरे दर्जे के किये पर इस समय जो अधिप्रभार लिया जाता है, वह अनुपाततः बढ़ जायेगा। लेकिन अब भी इस दर्जे का किराया डाकगाड़ी के दूसरे दर्जे के प्रस्तावित किराये से कम रखा जायेगा। वातानुकूल दर्जे का किराया १९५५ में बढ़ाया गया था इसमें अब कुछ और वृद्धि की जायेगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि समान यात्राओं के लिये वातानुकूल दर्जे और हवाई ज़हाज़ के किरायों में समुचित सामंजस्य रहे।

विभिन्न दर्जों का किराया अधिसूचित करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि किराये में जो कुछ असंगतियां हैं, उन्हें दूर कर दिया जाय। जैसे लम्बे सफर के यात्रियों को 'अधिक दूरी-कम किराया' नीति का लाभ नहीं मिल सका था। किराये के ढांचे में यह असंगति पहली अप्रैल, १९६१ से आयी जब यात्री किराया कर, जो विभिन्न दूरियों के लिए अलग-अलग प्रतिशत के आधार पर लिया जाता था, यात्री किराये में मिला दिया गया और उसमें कोई दूसरा समंजन नहीं किया गया।

सीज़न टिकटों के किराये में यह वृद्धि ५ प्रतिशत तक सीमित रखने का विचार है है क्योंकि यह वांछनीय है कि दफ्तरों और उद्योग-धंधों में बड़ी संख्या में जो लोग काम करते हैं, उन पर किराये में वृद्धि का भार यथासम्भव कम रखा जाय। सीज़न टिकटों के किराये में पहली जनवरी, १९४८ से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि १९५७ में जो यात्री कियारा-कर लगाया गया था वह भी सीज़न टिकट पर लागू नहीं था। इस समय बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में तीसरे दर्जे के अधिकतर मासिक उपनगरी टिकटों का किराया ८ से लेकर १५ इकहरी यात्रा के किराये के बराबर है, जब कि इन टिकटों पर महीने में साधारणतः ५० से लेकर ६० यात्राएं की जाती हैं। यह सम्भव नहीं है कि सीज़न टिकटों का किराया बिल्कुल न बढ़ाया जाय और यह उचित भी नहीं है। सीज़न टिकटों का इस्तेमाल बहुत कुछ वेतन-भोगी कर्मचारी करते हैं, जिनके वेतन में निस्संदेह १९४८ से पर्याप्त वृद्धि हुई है। इस वर्ग के निर्वाह-व्यय में केवल यही एक मद है जिसमें अब तक वृद्धि नहीं की गयी है। प्रस्तावित किराये में भी इस वर्ग को परिवहन-व्यय के रूप में महीने में केवल थोड़ा अधिक खर्च करना होगा। उपनगरी टिकटों पर लोग औसतन एक ओर प्रतिदिन केवल १७ किलोमीटर के लगभग सफ़र करते हैं। किराये में वृद्धि का जो प्रस्ताव रखा गया है, उसमें पूरे महीने में, एक ओर के ३० किलोमीटर सफ़र तक का खर्च केवल लगभग ४० नये पैसे बढ़ेगा। औसत सीज़न टिकट यात्री को प्रतिदिन केवल एक नया पैसा अधिक खर्च करना होगा।

९. किराये और भाड़े में परिवर्तन के जो प्रस्ताव रखे गये हैं, उनके अनुसार १९६२-६३ में २१.२६ करोड़ रुपये अतिरिक्त आमदनी की आशा है और इस प्रकार बजट वर्ष में यातायात से कुल प्राप्तियों का अनुमान अब ५४५.३६ करोड़ रुपये रखा गया है। साधारण संचालन व्यय का अनुमान अब ३५६.८० करोड़ रुपये है जो पहले के अनुमान से ११.२० करोड़ रुपये अधिक है। संचालन-व्यय में यह वृद्धि मंहगाई भत्ता बढ़ जाने के कारण है। लेकिन दूसरी मदों में खर्च घट जाने से कुछ हद तक यह वृद्धि संतुलित हो जाती है। इस प्रकार १९६२-६३ में अब २३.२२ करोड़ रुपये की बचत का अनुमान है, जब कि पहले इसका अनुमान १३.१६ करोड़ रुपये रखा गया था। बचत की यह रकम विकास निधि में डाली जायेगी। १९६२-६३ में विकास निधि से जो काम किये जायेंगे, उनका अनुमानित खर्च २३ करोड़ रुपये है। २३.२२ करोड़ रुपये की बचत से यह खर्च ठीक पूरा हो जायेगा, इसलिए सामान्य राजस्व से विकास निधि के लिए कर्ज़ लेने की जरूरत नहीं होगी। १९६२-६३ के लिए इससे पहले जो अनन्तिम अनुमान रखा गया था उसमें उपरोक्त और दूसरे छोटे-मोटे परिवर्तनों का ब्योरा बजट के पूरक व्याख्यात्मक ज्ञापन और अनुदान की मांगों की व्याख्यात्मक टिप्पणी में दिया गया है।

१०. १९६१–६२ तीसरी योजना का पहला वर्ष है। इस वर्ष रेलों के परिवहन कार्य के सम्बन्ध में पिछले महीने अपने बजट भाषण में श्री जगजीवन राम ने जो कुछ कहा था, उसके अलावा मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है। फिर भी यह उल्लेखनीय है कि पिछले मौसम (१९६०-६१) के मुकाबले इस मौसम में ढोने के लिए बहुत कम गन्ना मिला।

जहां तक कोयले की ढुलाई का प्रश्न है, रेलें इस्पात कारखानों और कोयला धुलाई कारखानों की कुल मांग पूरी करती रही हैं। इसके अलावा बंगाल और बिहार से बाहर की कोयला-खानों द्वारा माल-डिब्बों की कुल मांग भी पूरी की गई। जहां तक बंगाल और बिहार की कोयला-खानों से इस्पात कारखानों के अलावा अन्य उपभोक्ताओं को कोयला पहुंचाने का प्रश्न है, १९६१-६२ में रेलों ने प्रतिदिन १८२ अतिरिक्त माल-डिब्बे चलाये। इस प्रकार तीसरी योजना में इन कोयला-खानों से अधिक कोयला ढोने का जो लक्ष्य रखा था, उससे लगभग $^{1}/_{6}$ अधिक कोयला ढोया गया। विकास सम्बन्धी कार्यों की प्रगति और चलस्टाक की संख्या में वृद्धि के साथ तीसरी योजना के बाकी वर्षों में उत्तरोत्तर अधिक कोयला ढोया जायेगा। यद्यपि बंगाल और बिहार की कोयला-खानों में कुछ अनिवार्य कारणों से कभी-कभी माल-डिब्बों की कमी महसूस हुई, फिर भी पिछले वर्ष की तुलना में १९६१-६२ में इन खानों से प्रतिदिन औसतन ३१९ अधिक माल-डिब्बों में कोयला लादा गया, अर्थात् कोयले का लदान लगभग ७.१ प्रतिशत अधिक रहा। यद्यपि आम इस्तेमाल के निम्न अग्रता वाले माल के लिए डिब्बों की सप्लाई में कुछ देर हुई, फिर भी कुल मिलकर १९६१–६२ में परिवहन की स्थिति पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी रही, क्योंकि माल डिब्बों की बकाया मांग घट गयी।

११. १९६२-६३ में कोयले की ढ़लाई का कार्यक्रम यह है कि इस्पात कारखानों और कोयला धुलाई कारखानों की कुल मांग पूरी की जायेगी। वर्ष के शुरू में अन्य उपभोक्ताओं के लिए बंगाल और बिहार की कोयला-खानों से प्रतिदिन कम से कम ३,६४० माल-डिब्बे चलाने की व्यवस्था है जबकि १९६१-६२ में यहां से प्रतिदिन ३,५८० माल-डिब्बे और १९६०-६१ में प्रतिदिन ३,३९८ माल-डिब्बे चलाये गये थे। वर्ष के उत्तरार्ध में डिब्बों की संख्या बढ़ायी जा सकेगी। बंगाल और बिहार से बाहर की कोयला-खानों की जरूरतों को पूरा करने में किसी प्रकार की कठिनाई की संभावना नहीं है। सरकार का लक्ष्य है कि तीसरी योजनामें इन कोयला-खानों का उत्पादन बढ़ाया जाय।

[श्री स्वर्ण सिंह]

परिणामस्वरूप यह आशा की जाती है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कोयले के आम उपभोक्ताओं को अधिक कोयला दिया जायेगा।

जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती मंत्री ने बजट भाषण में बताया था, १९६१-६२ की अपेक्षा १९६२-६३ में रेलवे के माल यातायात में १५० लाख टन अतिरिक्त वृद्धि का अनुमान है, जिसका आधा भाग इस्पात कारखानों के लिए कोयला और माल यातायात के रूप में और शेष आधा भाग अन्य लोगों के लिए होगा। तीसरी योजना में अधिक कोयला ढोने के उद्देश्य से बहुत कुछ कोयला भारी माल गाड़ियों में ढोया जायेगा, जिसमें नये ढंग के बी० ओ० एक्स० माल-डिब्बे लगाये जायेंगे। ये डिब्बे उत्तरोत्तर अधिक संख्या में काम में लाये जा रहे हैं।

१२ रेल-व्यवस्था में सुधार, रेल उपयोगकर्ताओं के लिए सुख-सुविधा, परामर्श समितियों के माध्यम से जनता का सहयोग, कर्मचारी हित और कर्मचारियों के साथ सम्बन्ध, तकनीकी प्रगति, अनुसंधान आदि रेल संचावन के दूसरे पहलुओं का ब्योरा रेलवे बजट (१९६२-६३) के श्वेत-पत्र में दिया गया है। यहां मैं केवल निर्माण और विस्तार के उस विशाल कार्यक्रम की संक्षेप में चर्चा करूंगा जिसे रेलों ने तीसरी योजना में यातायात की प्रत्याशित भारी वृद्धि को सम्हालने के लिये हाथ में लिया है। १९६१-६२ में (जो तीसरी अयोजना का पहला वर्ष है) बिजली गाड़ी चलाने के लिए ५२८ किलो-मीटर लाइन पर बिजली लगाने का काम पूरा किया गया। १९६२-६३ में ३५० किलोमीटर लाइन पर बिजली लगाये जाने की आशा है। १९६१-६२ में लगभग ६०० किलोमीटर लाइन पर दोहरी पटरी बिछायी गयी; चालू वर्ष में ८०० किलोमीटर लाइन पर दोहरी पटरी बिछाने का कार्यक्रम है। १९६१-६२ में मीटर लाइन के ४१ डीज़ल रेल-इंजन प्राप्त किये गये और चालू वर्ष में बड़ी लाइन के ११२ और मीटर लाइन के १९ डीज़ल रेल-इंजन मिलने की आशा है। चित्तरंजन-रेल-इंजन कारखाने में बिजली रेल-इंजन बनाने का काम शुरू हो गया है। १९६२-६३ के समाप्त होने से पहले इस कारखाने से २१ बिजली रेल-इंजन मिलने की आशा है जिनमें से तीन रेल-इंजन बनाये जा चुके हैं। इसके अलावा इस कारखाने में भाप रेल-इंजन तैयार करने का कार्यक्रम भी पूर्ववत् जारी है। पेरम्बूर सवारी डिब्बा कारखाने का उत्पादन क्रमशः बढ़ रहा है। इस कारखाने में कई किस्म के सवारी डिब्बे बनाने की व्यवस्था भी जा रही है। पिछले वर्ष इस कारखाने में सवारी डिब्बों के ५९८ खोल तैयार किये गये, चालू वर्ष में ६४४ सवारी डिब्बे तैयार होने की आशा है। आवश्यक सामान की कमी के कारण माल-डिब्बों के उत्पादन में कुछ कठिनाई हुई, लेकिन धीरे-धीरे इस कठिनाई को दूर किया जा रहा है। चौपहिये डिब्बों के हिसाब से १९६१-६२ में १९,१०० माल-डिब्बे तैयार किये गये, जबकि उससे पहले के वर्ष में ११,९८४ माल-डिब्बे तैयार किये गये थे। इस समय हर महीने २,२५० से अधिक माल-डिब्बे तैयार किये जा रहे हैं, आगामी वर्षों में उत्पादन की यह दर बढ़ायी जायेगी। तीसरी योजना में यातायात की प्रत्याशित वृद्धि को सम्हालने के लिए लाइन-क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध में जो काम जरूरी हैं और जिनकी पूरे होने में कुछ समय लगता है, उनमें से अधिकतर कामों की मंजूरी या तो दी जा चुकी है या उन पर चालू वर्ष में काम शुरू होने वाला है। १९६२-६३ में निर्माण, मशीन और चल-स्टाक कार्यक्रम के लिए २९५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस काम के लिए हाल के वर्षों में यह सबसे अधिक रकम है। नयी लाइनों के निर्माण का ब्योरा श्वेत-पत्र और बजट पुस्तिकाओं में दिया गया है।

१३. अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रेल कर्मचारियों के साथ जो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापति किया गया है और रेलवे के परिचालन और उसके काम के स्तर में जो क्रमिक प्रगति हुई है, उसे कायम रखने का में सतत प्रयास करूंगा। मुझे इस बात में

कोई सन्देह नहीं है कि रेलवे को जो कठिन काम दिया गया है, उसे पूरा करने के लिए सभी वर्ग के रेल-कर्मचारी अपनी सफलता और कर्त्तव्य-निष्ठा की परम्परा के अनुरूप साथ मिलकर और अधिक प्रयास करेंगे। मुझे इस बात का भी विश्वास है कि जो भारी उतरदायित्व मुझे सौंपा गया है, उसे निभाने में माननीय सदस्यों और जनता का सहयोग एवं प्रत्साहन मुझे मिलता रहेगा।

राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में वक्तव्य

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: मैं प्रधान मंत्री की ओर से निम्न लिखित वक्तव्य प्रस्तुत करती हूं :

"ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री मैकमिलन, ने कुछ सप्ताह पूर्व हमारे प्रधान मंत्री के साथ ब्रिटेन के योरूपीय आर्थिक समुदाय के साथ सम्बन्धों एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा करने के लिए आगामी सितम्बर में राष्ट्रमंडलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन आयोजित करने के सम्बन्ध में परामर्श किया था। अब यह निर्णय किया गया है कि वह सम्मेलन १० सितम्बर १९६२ को आरम्भ होगा।"

इसके पश्चात् लोक सभा २१ अप्रैल, १९६२/१ वैशाख, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

गुरुवार, १६ अप्रैल, १९६२
————————————————
२६ चैत्र, १८८४ (शक)

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३९

३ सदस्यों ने निम्नलिखित भाषाओं में शपथ ली अथवा प्रतिज्ञान किया :—

१ ने बंगला में

१ ने अंग्रेजी में ; और

१ ने हिन्दी में

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर.		४०—६३
तारांकित प्रश्न संख्या		
१	कपड़ों के दाम	४०—४२
२	चीनियों द्वारा भारतीय प्रदेश का अतिक्रमण	४२
२१	भारतीय क्षेत्र से चीनी सेनाओं की वापसी	४३
२२	चीन के कब्जे में भारतीय प्रदेश	४३—४६
३	सेंधा नमक का आयात	४६—४७
४	प्रेसिडेंट अय्यूब की भारत यात्रा	४७—४९
५	हाथ की घड़ियां	४९—५०
६	सरकारी कर्मचारियों के लिये निवास-स्थान	५०—५२
७	बर्मा में भारतीय	५२—५५
८	अमरीका को अन्य वस्तुओं के बदले चीनी का निर्यात	५५—५७
९	उड़ीसा में पटसन मिल	५७—५८
१०	पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की लागत	५८—६०
११	राज्य व्यापार निगम	६०
१३	पुर्तगाली बस्तियों में रोके गये भारतीय	६१—६२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१	पाकिस्तान में गोआनी	६२—६३

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर ६४—७६

तारांकित
प्रश्न संख्या

१२ अलजीरिया के साथ राजनयिक सम्बन्ध ६४
१४ आयात नीति ६४
१५ दमन के किसान ६५
१६ मद्रास में वृद्धावस्था पेंशन ६५
१७ पाकिस्तान में "भारत से नफरत करो" आन्दोलन ६५
१८ तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास . ६६
१९ गोदावरी खानी में प्रादेशिक अस्पताल ६६
२० शक्ति-चालित करघे . ६६–६७
२३ कोयले की कमी और परिवहन ६७
२४ भारत-तिब्बत व्यापार ६७–६८
२५ सुरक्षा परिषद् में काश्मीर सम्बन्धी वाद-विवाद ६८–६९
२६ गोआ में पुर्तगाली नजरबन्दों का प्रत्यावर्तन . ६९
२७ हौजरी के माल का निर्यात ६९–७०
२८ पाकिस्तान में आन्दोलन ७०
२९ निःशस्त्रीकरण सम्मेलन ७०–७१
३० "टेरिलीन" का निर्माण ७१
३१ उद्योगों में रोजगार की सम्भावना का सर्वेक्षण ७१
३२ पूर्व निर्मित मकान ७२
३३ काश्मीर के सम्बन्ध में पाकिस्तान द्वारा प्रचार ७२
३४ उत्तर प्रदेश में मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की स्थापना ७२–७३
३५ निर्यात संवर्द्धन के बारे में मुदालियर समिति ७३
३६ भारत के भूतपूर्व पुर्तगाली क्षेत्रों में प्रशासन ७३–७४
३७ आसाम में तेल समवाय के कर्मचारी ७४
३८ छोटे पैमाने के उद्योग ७४–७५
३९ नकली रेशम का धागा ७५
४० कर्मचारी भविष्य निधि योजना ७५
४१ राज्यों में योजना बोर्ड ७६
४२ भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों का भारत को विधिसम्मत हस्तांतरण ७६

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--क्रमशः	
अतारांकित प्रश्न संख्या	
१ आन्ध्र प्रदेश में कामदिलाऊ दफ्तरों में पंजीबद्ध व्यक्ति	७६--७७
२ कनाट प्लेस में सेन्ट्रल पार्क	७७
३ नई दिल्ली में अविवाहितों के लिये होस्टल का निर्माण .	७७--७८
४ भवन निर्माण आदि की मशीनें	७८
५ वारंगल और ककटिया राज-वंश सम्बन्धी प्रलेखीय चलचित्र	७८
६ काफ़ी उत्पादकों को ऋण	७८--७९
८ पलास से अखबारी कागज बनाना	७९
९ व्यापार सम्बन्धी करार	७९--८०
१० पंजाब में औद्योगिक बस्तियां	८०
११ भारत-पाक चल सम्पत्ति करार के अन्तर्गत स्थापित क्रियान्विति समिति	८०--८१
१२ राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्था, अहमदाबाद	८१
१३ रद्दी चाय से कैफीन	८१
१४ गणना यंत्रों का निर्माण	८१--८२
१५ जे० के० रेयन फैक्टरी, कानपुर में हड़ताल	८२
१६ इंडो-यूगोस्लाव व्यापार करार	८२
१७ विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	८३
१८ मोटर परिवहन कर्मचारी	८३
१९ अणु शक्ति संयंत्र	८३--८४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	८५--८७

श्री सुबोध हंसदा ने अन्देमान द्वीप में श्रमिकों की बेचैनी की ओर, जिसके फलस्वरूप पुलिस द्वारा गोली चलाई गई और तीन व्यक्ति मर गये तथा कई अन्य व्यक्तियों को चोटें आईं, गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया।

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८७–८८

(१) २३ मार्च, १९६२ को सरपी कजोरा कोयला-खान में हुई दुर्घटना सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति।

(२) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक ७ अप्रैल, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० १०५९ में प्रकाशित नकली रेशम के कपड़े (उत्पादन और वितरण) नियंत्रण आदेश, १९६२ की एक प्रति।

(३) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५१ की धारा १६९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ३१ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ९६५ में प्रकाशित निर्वाचनों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति।

सभापति-तालिका ८८

अध्यक्ष महोदय ने लोक-सभा को सूचित किया कि उन्होंने निम्नलिखित व्यक्तियों को सभापति-तालिका का सदस्य मनोनीत किया है :—

(१) श्री मूलचन्द दुबे

(२) श्री जगन्नाथ राव

(३) श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

(४) श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

(५) श्री शाम नाथ

रेलवे आयव्ययक, १९६२–६३ का उपस्थापन. ८८—९५

रेलवे मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) ने वर्ष १९६२–६३ के लिये रेलवे के सम्बन्ध में भारत सरकार की अनुमित आय और व्यय का विवरण उपस्थापित किया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य ९५

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने प्रधान मंत्री की ओर से १० सितम्बर, १९६२ को लन्दन में होने वाले प्रस्तावित राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्री सम्मेलन के बारे में एक वक्तव्य दिया।

शनिवार, २१ अप्रैल, १९६१/१ वैशाख, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि—

आय-व्ययक (रेलवे) १९६२–६३ पर सामान्य चर्चा तथा गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्पों पर विचार

GMGIPND—LSIII—250 (Ai) LSD—31-5-62—150